डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति माह 1 को प्रकाशित, नवम्बर 2023 • वर्ष 11 • अंक 10 • वर्ष 40 • अंक 06 • कुल ₹ 10.00

भारत-नेपाल के बीच संबंधों में नए इतिहास की शुरुआत - श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड'

भारत एवं नेपाल की संस्कृति, सभ्यता और परम्पराएं एक जैसी - मुख्यमंत्री

भारत और नेपाल के बीच संबंधों में नए इतिहास की शुरुआत हुई है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में नए आयाम जुड़े हैं। यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने भारत दौरे के दौरान मध्यप्रदेश प्रवास में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में दिये गये रात्रि-भोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।

इंदौर, श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मुलाकात के दौरान कहना कि हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे देश की सीमा का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। यह हमारे लिये खुशी और गर्व का विषय है। श्री प्रचंड ने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार भारत भ्रमण हो रहा है। इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के बीच जो सहमति हुई है, यह दूर तक जाने वाली सहमति है। कनेक्टीविटी, वॉटर रिसोर्स और ऊर्जा के क्षेत्र में जो सहमति बनी है, उसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। मैं नेपाल जाकर नेपाली जनता को बताऊंगा कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों में नए इतिहास की शुरुआत हुई है। भारत-नेपाल के संबंधों में नए आयाम जुड़े हैं। इसको मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। श्री प्रचंड ने कहा कि मध्यप्रदेश में गर्मजोशी से स्वागत हुआ है वह अविस्मरणीय है। भगवान श्री महाकाल के दर्शन करने का मेरा सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हुए विकास कार्य अभूतपूर्व हैं। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई दी।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की 9 करोड़ जनता और राज्य शासन की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' का अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि श्री प्रचंड को हमारे बीच पाकर हम अभिभूत हैं, उनका स्वागत कर हम गौरवांवित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और परम्पराएं लगभग एक जैसी हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनों के बीच अपने ही आये हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर विमानतल पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और उनके साथ आये प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आत्मीय व्यवहार से अभिभूत नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड ने कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वे उनसे पहली बार मिले हैं। प्रधानमंत्री श्री प्रचंड के साथ अन्य अतिथि में सुश्री गंगा दहल, नेपाल के विदेश मंत्री श्री नारायण प्रकाश सोद सहित अन्य मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अत्यंत प्राचीन राष्ट्र हैं। भारत और नेपाल भले ही दो शरीर हों पर सांस्कृतिक रूप से वे एक हैं। दोनों का सांस्कृतिक वैभव, सभ्यता और संस्कार एक जैसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध आने वाले दिनों में और भी प्रगाढ़ होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड के इंदौर आगमन पर मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रदर्शन किया गया। निमाड़ का गणगौर और साथ में भगोरिया के उल्लासपूर्ण नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया।

श्री प्रचंड ने जन-प्रतिनिधियों से की मुलाकात

श्री प्रचंड इंदौर एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में जन-प्रतिनिधियों से भी मिले और इंदौर के पोहे और समोसे का भी स्वाद लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें इंदौर की विशेषताओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान, प्रधानमंत्री श्री प्रचंड के उज्जैन रवाना होने के बाद एयरपोर्ट परिसर में उपस्थित नेपाली मूल के नागरिकों से मिले और सांस्कृतिक प्रस्तुति देने आए विभिन्न दलों से मुलाकात कर उनके प्रदर्शन को सराहा।

मुख्यमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में हुए शामिल

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित सम्मेलन केंद्र में 'विकसित भारत@ 2047 : टीम इंडिया की भूमिका' पर नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

बैठक में विकसित भारत@2047, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अधोसंरचना विकास और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास तथा सामाजिक विकास के लिए गतिशक्ति जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल

युवाओं को हुनर देकर समाज की ताकत बनाना जरूरी - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में पीएम मित्र पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क प्रारंभ करने की पहल युवाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायक है। प्रदेश में हुनरमंद युवा तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जाएगा। समाज की ताकत बनाने के लिए सबसे पहले युवाओं को हुनर देना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है और निवेश से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं के कौशल उन्नयन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गोविंदपुरा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) गोविंदपुरा में मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युवाओं को रोजगार देने के लिए चिंतित रहते हैं। साथ ही कौशल उन्नयन पर भी उनका ध्यान है। मेगा जॉब फेयर में 640 युवाओं को आज रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार बहुत आवश्यक है। एक तरफ रोजगार देने वाले लोग हैं, जिन्हें दक्ष व्यक्ति चाहिए और दूसरी ओर युवा रोजगार चाहते हैं। ऐसे नौजवान जिन्हें जॉब चाहिए उनके लिए मेगा जॉब फेयर लगाया गया। प्रधानमंत्री प्रतिमाह रोजगार मेले लगाते हैं। वे ऑफर लेटर अपने हाथों से देते हैं। रोजगार देने का व्यापक अभियान देश में चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी अलग-अलग कंपनियों में रोजगार देने और निवेश बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रमिकों और निर्धनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में सवा तीन करोड़ पंजीयन हुए हैं। इसमें आवेदक अलग-अलग बार भी पंजीयन करवाने के लिए पात्र होते हैं। इन पंजीयन में से एक करोड़ 30 लाख का मोबेलाइजेशन किया गया है। करीब 5 लाख एक्टिव वेकेन्सीज की जानकारी सामने आई है। यह पोर्टल लोकप्रिय हो रहा है। यह पोर्टल देश में रोजगार के लिए पुल का कार्य कर रहा है। मेगा जॉब फेयर इसी श्रृंखला की कड़ी है।

प्रदेश के किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर्स से वसूली नहीं होगी - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोज शुल्क वसूली नहीं होगी, यह तत्काल बंद की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हाथठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे। गरीबों की जिंदगी में खुशियां लाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। हाथठेला रोजी-रोटी का साधन है। तत्काल प्रभाव से निर्देश दे रहा हूं कि कोई भी हाथठेला जब्त नहीं होगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियम बना दिए जाएं। जिनके पास हाथठेला नहीं है उनको सब्सिडी पर हाथठेला देने की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार 5 हजार रुपये सब्सिडी देगी। गरीबों की तकलीफों को दूर करना शिवराज का धर्म है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स मेहनतकश भाई-बहन हैं। अपना खून-पसीना एक कर रोजी-रोटी कमाते हैं। आप श्रम साधक हैं, आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। आप घर-घर पहुंच कर लोगों को सामान की बिक्री करते हैं। जरूरत की हर छोटी-बड़ी चीज आसानी से लोगों तक पहुंचाते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि गांव से शहर में आने वाले गरीबों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। माफिया से छुड़ाई गई 23 हजार एकड़ जमीन पर गरीबों को पट्टा दिया जाएगा। जनता की तकलीफों को दूर करना सरकार का धर्म है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1000 रुपये हर महीना बहनों के खाते में डाले जायेंगे। संबल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना में महिलाओं के पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, शादी, दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता की व्यवस्था की गई है। सभी पात्रों को योजना में शामिल कर लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

संवाद और सम्मान समारोह

प्रतिभा प्रदर्शन में कोई बंधन आड़े नहीं आते

भोपाल, मध्यप्रदेश के विद्यार्थी निरंतर प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिभा को आगे बढ़ने में कोई बंधन आड़े नहीं आते। चाहे बेटा हो या बेटी, सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग, अमीर हों या गरीब, प्रतिभाशाली बच्चों ने सभी बंधनों को तोड़ कर सफलता अर्जित कर दिखाई है। निश्चित ही मध्यप्रदेश इन विद्यार्थियों पर गर्व कर सकता है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित नए रवीन्द्र भवन में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित प्रदेश के युवाओं एवं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों के संवाद एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की तरह अब हायर सेकेंडरी में टॉपर रहे बेटों को भी ई-स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरिट लिस्ट के विद्यार्थियों के साथ ही यूपीएससी की परीक्षा में चयनित प्रदेश के 53 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में जहां सिर्फ 38 विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए, वहीं वर्ष 2021 में 39 और इस वर्ष 53 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। अब मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए यह सर्वाधिक आनंद का क्षण है और मैं चाहता हूं कि अधिक संख्या में विद्यार्थी सफल हों, जिससे मुझे विद्यार्थियों को निरंतर पुरस्कृत करने का अवसर मिले। गुरुओं की कृपा, भगवान की अनुकंपा और विद्यार्थियों के परिश्रम से उन्हें यह सफलता मिली है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित विद्यार्थी देश के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आगे आए हैं।

27 मई

नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक संपन्न

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए और एक विकसित भारत के लिए लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों की अगले 25 वर्षों की रणनीति विकसित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ जोड़ सकता है।

● रूस और बेलारूस ने बेलारूस के इलाके में रूसी परमाणु हथियारों को तैनात करने को लेकर एक समझौता किया है। इस परमाणु हथियारों का कंट्रोल रूस के पास रहेगा। इस कदम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा पहले की गई सहमति को औपचारिक रूप दिया है। बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले कहा था कि उनके देश ने बेलारूस में सामरिक, तुलनात्मक रूप से कम दूरी और कम प्रभाव वाले परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना बनाई है।

28 मई

नेपाल के राष्ट्रपति ने 501 दोषियों को किया माफ

● नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 501 दोषियों को माफ कर दिया है। इन दोषियों में थारुहाट नेता और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के प्रमुख रेशम चौधरी भी शामिल हैं। वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 501 कैदियों में 19 राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जेल की शेष शर्तों से छूट प्राप्त अन्य 482 कैदियों में से अधिकांश आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे। नेपाल सरकार 29 मई को गणतंत्र दिवस के मौके पर इन कैदियों को रिहा करेगी।

● पाकिस्तान को दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से चलाए जाने वाले स्कूल को बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस स्कूल को बंद करने की वजह छात्रों के कम एडमिशन को बताया है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को इस स्कूल के खर्चे तक वहन करने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। हालात यहां तक हो गए थे कि शिक्षकों के वेतन से लेकर कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले एक साल से न दिए जाने का भी मामला सामने आया है। बदहाल हो चुकी आर्थिक स्थिति को लेकर पाकिस्तान सरकार ने खर्चों में कटौती करने के लिए आदेश दिए हैं।

29 मई

यूजीसी नेट परीक्षा केंद्र सूचना पर्ची जारी

● नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर-2022/ जून-2023 परीक्षा के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। बता दें, परीक्षा शहर पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। यह केवल उस शहर की जानकारी है, जहां उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र स्थित होंगे। सीएसआईआर यूजीसी नेट प्रवेश पत्र जल्द ही आएगा से जारी किया जाएगा। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट 2023 परीक्षा छह, सात और आठ जून को तीन घंटे की अवधि के लिए सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप या सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है।

● भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 75वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह वह दिवस है जिस दिन वर्ष 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, 'यूएन ट्रस सुपरविजन ऑर्गनाइजेशन (यूएनटीएसओ)' ने फिलिस्तीन में अपना अभियान शुरू किया था। भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने की एक समृद्ध विरासत रही है और यह शांति सैनिकों का एक सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। भारत ने अब तक ऐसे शांति अभियानों में लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है, वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 5,900 सैनिक तैनात हैं।

30 मई

आईआईटी में प्रवेश के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

● भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक की पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी मौजूद थी और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं थी। अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले हैं और उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों के हवाले करना होगा।

● अमेरिका में मेमोरियल डे के दिन फ्लोरिडा के हॉलीवुड बीच पर भीड़ पर गोलीबारी हुई जिसमें कम से कम 9 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह पूरा प्रकरण दो समूहों के बीच लड़ाई के बाद शुरू हुआ, जो गोलियां चलने के बाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि हॉलीवुड बीच पोस्ट लॉडरडेल से लगभग 11 मील दक्षिण और मियामी से 20 मील उत्तर में एक प्रसिद्ध समुद्र तट है।

31 मई

नदियों की सफाई में मदद करेंगे तकनीकी संस्थान

● गंगा और यमुना की सफाई के लिए तकनीकी संस्थानों का भी सहारा लिया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए 17 तकनीकी संस्थानों को नामित किया है। इन संस्थानों के विशेषज्ञ स्थानीय प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर ऐसे उद्योगों की जांच करेंगे, जिनसे निकलने वाले गंदे पानी से ये नदियां प्रदूषित हो रही हैं। वहीं अगर उद्यम तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को अपने परिसर में प्रवेश देने से माना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

● देश में शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा पांच साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 6.8% रह गई है। सभी तिमाहियों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 2018-19 के बाद 2022-23 में सबसे कम रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले इसी तिमाही में यह 8.2% थी। ज्ञात हो, बेरोजगारी दर पिछले साल जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर में 7.2% थी।

1 जून

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी संदेश दिखाना अनिवार्य

● केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन नहीं करता है तो द्रारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

● नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़डयन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है। ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 को मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा बिल जारी किया गया है। इसमें कोई भी हितधारक अपनी राय रख सकता है। ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की प्रस्तावना के अनुसार, इसका उद्देश्य विमानों के डिजाइन, निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के विनियमन और नियंत्रण और संबंधित मामलों के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम बनाना है।

2 जून

अमेरिका के लिए तीन और उड़ान शुरू करेगी एयर इंडिया

● एयर इंडिया इस महीने से अमेरिका के लिए अपनी तीन और साप्ताहिक उड़ान शुरू कर रहा है। इससे पहले पायलटों की कमी के कारण एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए 47 में से 6 साप्ताहिक उड़ानों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया था, लेकिन अब इनमें से तीन को पहले ही बहाल कर दिया गया है।

● इसरो चीफ एस. सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-2 मिशन में हम असफल हुए थे। उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान-3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रचेंगे। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। बता दें, भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान-1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली। अब भारत चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से करने की तैयारी में है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

INTERNATIONAL LEARNING INSTITUTE
College with Difference
Affiliated to DAVV Indore, Recognized by MP Govt. Higher Education
BA(History, Political Science, Sociology) B.Com(Plain, Tax, Computer Application)
REQUIRES
■PRINCIPAL ■PROFESSOR
■HEAD OF DEPARTMENT ■ASST. PROFESSOR ■LIBRARIAN
Qualification as per Code-28
Please mail all your documents scanned copy along with resume within 7 days to ili.commercecollege@gmail.com
Campus: MR-9, A-17, Chandra Nagar, AB Road, Indore
Contact: 8878805566
R-48612/2023

आज़ाद पी 3 एकेडमी
सपनों की उड़ान आप भरें, उन्हें साकार हम करें। इंदौर
UPSC | MPPSC | MPSI | PATWARI | SAMVIDA 1,2,3
प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट सेवा हेतु सम्मानित
MPPSC MAINS NEW BATCH 12 JUNE'23
MPPSC PRE+ MAINS HINDI+ ENGLISH (1 YEAR)
6 JUNE'23 | 20 JUNE'23
4 JULY'23 | 18 JULY'23
UG BATCH 3 YEARS PLAN
8 JUNE'23 | 22 JUNE'23 | 6 JULY'23
MPSI NEW BATCH 5 JUNE'23 | 19 JUNE'23
हेड ऑफिस : बेदा बिल्डिंग द्वितीय मंजिल, एप्पल हॉस्पिटल के पास, भंवरकुंआ, इंदौर
0731-4966653 / 54, 70244-86260
R-48611/2023

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट (रेट प्रति वर्ग सेंमी (Sq Per cm))	रंगीन (रेट प्रति वर्ग सेंमी (Sq Per cm))
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार
चौड़ाई - 25 सेंटीमीटर
लंबाई - 37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर - 925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5x5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 40, अंक 23 05.06.2023 से 11.06.2023
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - मनीष सिंह
● सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
● आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

जन-सेवा अभियान बना सुशासन का मंत्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 मई से प्रारंभ हुये मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में प्रदेश स्तर पर 96.6 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण उल्लेखनीय उपलब्धि है। आमजन के विभिन्न निलंबित कार्यों को 15 जुलाई तक पूरा किया जाये। यह अभियान सुशासन के मंत्र के रूप में संचालित किया गया। प्रशासनिक अमले के साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्री भी निरंतर जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा करते रहें। मुख्यमंत्री ने अभियान में श्रेष्ठ कार्य करते हुये सर्वाधिक आवेदनों का निराकरण करने वाले 5 जिले रतलाम, देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर के प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने शेष जिलों को भी अभियान के सुचारु संचालन के लिये बधाई देते हुये आम जनता के छोटे-छोटे कार्यों को नियमित रूप से समय-सीमा में पूर्ण करने और सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को सदैव गंभीरता से लेना है। लोगों को न्याय मिले इसके लिये समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। अभियान के परिणाम अच्छे हैं, लेकिन सही अर्थ में सफलता तब मानी जायेगी, जब कोई भी कार्य लंबित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मूल मंत्र यही है कि बिना परेशानी के आम जनता का कार्य हो। चाहे जाति प्रमाण-पत्र देने का कार्य हो, सीमांकन के मामले हों या भवन अनुज्ञा जैसे कार्य हों, इन्हें समय-सीमा में किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने मुरैना, श्योपुर आदि जिलों के नागरिकों से 2 दिन पूर्व दूरभाष द्वारा चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं को तत्परता से हल किया गया। नागरिकों ने बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ ही सी.सी. रोड के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जो समस्याएं बतायी थीं, वे तत्काल हल की गईं। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के साथ ही इस तरह आकस्मिक तौर पर जनता की तकलीफों की जानकारी लेकर उनके निराकरण में सहयोगी बना जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों का पंजीयन हो चुका है। प्रदेश में 1 जून से जिलों में स्वीकृति पत्रों का वितरण प्रारंभ हो चुका है। एक सप्ताह की अवधि तक यह कार्य निरंतर चलेगा। प्रभारी मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, अन्यत्र व्यस्तता की स्थिति में वे इससे वर्चुअली जुड़ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्डों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस कार्य के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहयोग करें। इस कार्य में दीनदयाल समितियों के सदस्य, जनअभियान परिषद के सदस्य, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में 8 जून को लाड़ली बहना ग्रामसभाएं भी की जायें। बहनों की जिंदगी बदलने वाली इस योजना के प्रति प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति देखी गई है।

मकड़ियां भी इंसानों की तरह सोती हैं

मनुष्य के जीवन में नींद का बहुत महत्व है। नींद पूरी न होने पर मनुष्य अनेक तरह की परेशानियों से घिर जाता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने मकड़ियों पर एक शोध किया है। शोध में कई चौंकाने वाली बात सामने आई हैं। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बताया कि मकड़ियां भी इंसानों की तरह सोती हैं और रात में सपने देखती हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्तांज के जीवविज्ञानी और अध्ययन की प्रमुख लेखिका डेनिएला रोएसलर ने मकड़ियों की रातों की गतिविधियां जानने के लिये उनके वीडियो बनाये। वीडियो का अध्ययन करने पर एक तरह का निश्चित व्यवहार पकड़ में आया। शोध के अनुसार मकड़ियों का एक समय आता है, जब उनकी आंखें झपकने लगती हैं। साथ ही उनकी टांगें भी मुड़ जाती हैं। इस अवस्था को शोधकर्ताओं ने तीव्र नेत्र गति नाम दिया। डेनिएला ने कहा कि मकड़ियों की रात की गतिविधियां अन्य प्रजातियों में पाये जाने वाले आईएम (नींद जैसी गहरी स्थिति) जैसी ही है। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते और बिल्लियां अपनी नींद में अचानक उछलते हैं, वैसा ही होता है। शोधकर्ता पॉल शैंबल ने कहा, द जंपिंग स्पाइडर ऐसे शिकारी जीव हैं, जो अपनी आंखों की पुतलियों को इधर-उधर हिलाते हैं। शिकार करते वक्त अपनी नजर को बदलने के लिये वे ऐसा करते हैं। अध्ययन के सहलेखक जीवविज्ञानी पॉल शैंबल ने बताया कि मकड़ियों जैसी ज्यादातर प्रजातियों की आंखों में गतिशीलता नहीं होती। इसलिये उनकी नींद का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जंपिंग स्पाइडर ऐसे शिकारी जीव हैं, जो अपनी आंखों की पुतलियों को इधर-उधर हिलाते हैं। शिकार करते वक्त अपनी नजर को बदलने के लिये वे ऐसा करते हैं। साथ ही युवा मकड़ियों की आंखों पर पारदर्शी परत होती है। इससे उनके शरीर के भीतर देखना आसान होता है।

- देवेश तिवारी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

विश्व पर्यावरण दिवस | 05 जून

पर्यावरण संरक्षण आज की सर्वोच्च प्राथमिकता

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिये पूरे विश्व में प्रति वर्ष पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिये वर्ष 1972 में किया था। उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पांच से सोलह जून तक आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाने का संकल्प लिया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस विश्व में 5 जून 1973 को मनाया गया था। वैश्विक सहभागिता के लिये आरम्भ में मुख्य आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही होता था। मगर वर्ष 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग-अलग देशों को चुना जाता है। इस आयोजन में हर साल एक सौ तिरतालिस से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक संगठन, पर्यावरणविद् और विषय विशेषज्ञ पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दिन है इस दिन पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों के समाधान की राह भी खोजता है। विश्व पर्यावरण दिवस जनसामान्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण से जुड़े संकट और विचारणीय मुद्दों पर नजर रखना है।

निर्धारक सार तत्व समझने से संरक्षण होगा सुगम

पर्यावरण संरक्षण से पूर्व यह जानना जरूरी है कि पर्यावरण के घटक अथवा सारतत्व क्या हैं, क्योंकि इसी से पर्यावरण का संरक्षण सुगम होगा। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े-मकोड़े, सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे : पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती और सम्पादित होती है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है - प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार तय होता है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवनशैली के परिवर्तन के बारे में पुनर्विचार के लिये प्रेरित कर रही हैं जो अब वांछनीय ही नहीं अनिवार्य है। अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और सुधी पाठकों को जागरूक करने की।

पर्यावरण संरक्षण के पक्षों को परिभाषित करते हैं लक्ष्य

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिवर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है इसे- 'थीम ऑफ दी इयर' कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'मिशन लाइफ' को केंद्र में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाने की परिकल्पना की है। यहां लाइफ का अर्थ पर्यावरण के लिए जीवनशैली होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का आयोजन देश कोटे डी आइवर है तथा नीदरलैंड सहयोगी देश है। 2023 की थीम 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' पर आधारित है। वर्ष 2022 के लिये स्वीडन मेजबान देश था। इस देश में सभी आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए गये। वर्ष 2022 में पर्यावरण संरक्षण अभियान 'केवल एक पृथ्वी' थीम के आसपास मनाया गया। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी 'इकोसिस्टम रीस्टोरेशन' इस लक्ष्य का मंतव्य पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त विश्व के निर्माण, ऐसे विश्व की कल्पना करना और ऐसे विश्व को पुनर्स्थापित करना था। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन पाकिस्तान में हुआ जिसमें इस लक्ष्य को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। वस्तुत: विश्व पर्यावरण दिवस पर तय की गई थीम उस लक्ष्य को पारिभाषित करती है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए तय किये जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की पिछले दस सालों की थीम की यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 की थीम थी जैव विविधता का जश्न मनाएं, वर्ष 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण को हराओ, वर्ष 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, वर्ष 2017 की थीम थी लोगों को प्रकृति से जोड़ना और वर्ष 2016 की थीम थी - जीवन के लिए जंगली हो जाओ अर्थात जंगल के सर्वांग स्वरूप को अपनाओ। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2015 की थीम थी एक विश्व, एक पर्यावरण, वर्ष 2014 की थीम थी पर्यावरण की दृष्टि से छोटे द्वीप विकसित राज्य होते हैं और अपनी आवाज उठाओ, ना कि समुद्र स्तर। वर्ष 2013 की थीम थी सोचो, खाओ, बचाओ और नारा था अपने फुटप्रिंट को घटाओ, वर्ष 2012 की थीम थी हरित अर्थव्यवस्था : क्यों इसने आपको शामिल किया है, वर्ष 2011 की थीम थी जंगल : प्रकृति आपकी सेवा में और वर्ष 2010 की थीम थी बहुत सारी प्रजाति, एक ग्रह और एक भविष्य।

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में होगा पर्यावरण बदलाव पर विचार

पहले भी जब-जब इस प्रकार की भयानक और जानलेवा महामारियां आई हैं, तब-तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण में आ रहे इस बदलाव पर भी विचार होना चाहिए। कोरोना संक्रमणकाल में प्रकृति का यह बदला हुआ रूप मानवीय जीवन के लिए भले ही क्षणिक राहत वाला हो, परंतु जब संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब क्या पर्यावरण की यही स्थिति बरकरार रह पाएगी? यह एक बड़ा सवाल विश्व के सामने आयेगा। जब सभी देशों के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना न केवल आवश्यक होगा, बल्कि मजबूरी भी होगी, तब क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जो प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। यह सवाल विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वाभाविक रूप से उठाया जाना चाहिए। आज की स्थिति को प्रकृति की ओर से दी हुई चेतावनी समझनी चाहिए, जो मनुष्य की जीवनशैली और विकास प्रक्रिया के तौर-तरीकों को बदलने का अवसर प्रदान करती है। महामारी के बाद आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर अमर्यादित दोहन भी किया जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी से उत्पन्न अल्पकालिक पर्यावरणीय सुधार से बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मानव, प्रकृति और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक और विचारणीय मुद्दा यह भी है कि संकट के इस दौर में मनुष्य के अति-भौतिकवाद, उत्पादनवाद और उपभोगवाद को विकास का पर्याय मान लेने की मानसिकता पर भी मंथन होना चाहिए। आधुनिकता की चकाचौंध से लोगों में व्यक्तिवाद और सुखवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। मानवीय उत्थान के लिए तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन नई-नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने की मनोवृत्ति ने पर्यावरणीय विसंगति को जन्म दिया है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए।

पांच साल पहले भारत को मिली थी इस दिवस की मेजबानी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल पहले अपने लोकप्रिय रेडियो-टीवी कार्यक्रम- 'मन की बात' में यह कहा था कि वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत को मिलना जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर भारत की नेतृत्व क्षमता को विश्व समुदाय द्वारा स्वीकार करने का स्पष्ट संदेश है। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से प्लास्टिक के प्रयोग को नकारने की भी अपील की थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत की मेजबानी में मंत्रालय द्वारा आयोजित पांच दिवसीय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों से विश्व समुदाय को भी अवगत कराया था। इसके पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर पांच दशक पूर्व वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में विश्व के अधिकांश देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें एक सौ उन्नीस देशों ने भाग लिया था और पहली बार पर्यावरण संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशन्स इनवायरमेंट प्रोग्राम) बनाया गया था और प्रतिवर्ष पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। इस पर्यावरण सम्मेलन में भारत की ओर से 'पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव' विषय पर व्याख्यान दिया गया था। पर्यावरण-सुरक्षा की दिशा में यह भारत का प्रारंभिक कदम था और तभी से हम प्रति वर्ष पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं।

राजा दुबे
(लेखक : जनसम्पर्क के सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
11/2023/02.06.2023	27.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	03.08.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश -

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से **दिनांक 27.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।**
3. सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना -

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश -

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु **परिशिष्ट-02** का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश -

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 01.07.2023 से 29.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि **(देखें परिशिष्ट-2)** का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि।

अधिमान्य अर्हताएं -

2. हाथकरघा एवं अन्य लघु उद्योगों एवं सहकारिता से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।

टीप:- अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि -

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथासमय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्धीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश -

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	**सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा)** (Assistant Director Gramodhyog (Handloom))	3	1	1	1	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	
मुख्य भाग (87%)		3	1	1	1	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

टीप:- 1. EWS श्रेणी में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वित्त प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु जारी EWS प्रमाण-पत्र धारित करना अनिवार्य होगा।

दो **पद का विवरण -**

01	**पद का नाम**	:	**सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom))**
	विभाग का नाम	:	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	15600-39100-5400
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	हाथकरघा, औद्योगिक, समन्वय, योजना, वित्त, विधि सामान्य तकनीकी, शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना एवं न्यायालयीन प्रकरण इत्यादि से संबंधित शाखाओं में उप संचालक के सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नवीन योजनाएं बनाने में सहयोग करना, संचालित योजनाओं का विश्लेषण करना, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम एवं म.प्र. खादी बोर्ड को स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त बजट का व्यय हेतु विश्लेषण। जिलों/प्रशिक्षण केन्द्रों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण नियंत्रण, बजट व्यय राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अन्य समस्त ऐसे कार्य जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों। जोनल कार्यालय के अंतर्गत पदस्थ अधिकारी जोनल अधिकारी को सौंपे गये समस्त कार्य में सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता -**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि।

अधिमान्य अर्हताएं -

2. हाथकरघा एवं अन्य लघु उद्योगों एवं सहकारिता से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।

टीप:- अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

विशेष -

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 27.07.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप- (1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता -**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निर्णिय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि : 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

पदों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2-3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4-6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7-9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 पद और ऊपर के लिए	50 उम्मीदवारों तक या पदों की संख्या के 5 गुना

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप -

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें -

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण -

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट -

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-I (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में हैं तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. सकैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ड़) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुनः अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगी।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) त्रुटि सुधार सुविधा : अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 01.07.2023 से 29.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	रुपये 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 27.07.2023 है।** अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें

दूरभाष : हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ---------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) **क्रमांक 11/2023 दिनांक 02.06.2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ-

1. मैं ---------- पुत्र/पुत्री श्री ---------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/---------- जिला ---------- मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ---------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ----------

हस्ताक्षर ----------

नाम ----------

रोल नंबर ----------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-I की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-I की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश -**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ड़) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा -

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा -

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) -**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ड़) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी) (Assistant Director Gramodhyog (Technical)) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
10/2023/31.05.2023	19.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 26.07.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी) (Assistant Director Gramodhyog (Technical)) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 19.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी) (Assistant Director Gramodhyog (Technical)) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु **परिशिष्ट-02** का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 23.06.2023 से 21.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्सटाईल/विविंग/हैण्डलूम टेक्नॉलाजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री।
2. माध्यमिक शिक्षा मंडल की उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमान्य अर्हताएं -

टेक्सटाईल/उद्योग में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा।

टीप :- अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/अ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	**सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी)** (Assistant Director Gramodhyog (Technical))	4	2	2	3	1	12	1	1	1	1	0	1	0	0	
मुख्य भाग (87%)		4	2	2	2	1	11	1	1	1	1	0				
प्रावधिक भाग (13%)		1 (काल्पनिक)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-				

टीप :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ 1-19/0001/2022/52-1 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार **मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण का उल्लेख भी उपरोक्त तालिका में किया गया है।** उक्त पदों हेतु परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम उपरोक्तानुसार विभाजन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त विभाजन को मान्य करते हुए आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व इस आशय का अभिवचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. EWS श्रेणी में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैधित प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु जारी EWS प्रमाण-पत्र धारित करना अनिवार्य होगा।

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	**सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी)** (Assistant Director Gramodhyog (Technical))
	विभाग का नाम	:	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	15600-39100 5400
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	हाथकरघा, औद्योगिक, समन्वय, योजना, वित्त, विधि सामान्य तकनीकी, शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना एवं न्यायालयीन प्रकरण इत्यादि से संबंधित शाखाओं में उप संचालक के सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नवीन योजनाएं बनाने में सहयोग करना, संचालित योजनाओं का विश्लेषण करना, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम एवं म.प्र. खादी बोर्ड को स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त बजट का व्यय हेतु विश्लेषण। जिलों/प्रशिक्षण केन्द्रों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण नियंत्रण, बजट व्यय राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अन्य समस्त ऐसे कार्य जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों। जोनल कार्यालय के अंतर्गत पदस्थ अधिकारी जोनल अधिकारी को सौंपे गये समस्त कार्य में सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्सटाईल/विविंग/हैण्डलूम टेक्नॉलाजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री।
2. माध्यमिक शिक्षा मंडल की उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमान्य अर्हताएं -

1. टेक्सटाईल/उद्योग में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा।

टीप : अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 19.07.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।
(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

पदों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2-3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4-6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7-9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 पद और ऊपर के लिए	50 उम्मीदवारों तक या पदों की संख्या के 5 गुना

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।
(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट 1V** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**
(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**
(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

उप सचिव

परिशिष्ट -II

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-I (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III

अर्हतांकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: निरस्त मानी जाएगी। । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अत: आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अत: आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 23.06.2023 से 21.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 19.07.2023** है। **अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ---------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (तकनीकी) (Assistant Director Gramodhyog (Technical)) क्रमांक 10/2023 दिनांक 31.05.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ----------पुत्र/पुत्री श्री---------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/---------- जिला ----------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ----------जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ---------- **हस्ताक्षर----------**

नाम----------

रोल नंबर----------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हों; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित भुगतान-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

प्री. वेटरनरी एवं फिशरी टेस्ट (PV & FT) 2023 के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि:- 07.06.2023 से 21.06.2023 तक

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 07.06.2023 से 26.06.2023 तक

परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
25.07.2023 से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00 से प्रात: 08:00 बजे तक	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

परीक्षा शहर :- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम एवं नीमच।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा की विस्तृत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.esb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. **परीक्षा शुल्क***

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	रु. 200/-
ऑनलाइन आवेदन-कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रु. 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रु. 20/-

*** म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ12-05/2023/1-एक, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन-पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन-पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी.ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।**

विशेष निर्देश :

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निर्धारित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल घड़ी एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अत: कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट- मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 06/म.प्र. माध्यम/110133/2023 **संचालक**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
'चयन भवन', मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011
फैक्स : +91-0755-2550498, वेबसाइट : www.esb.mp.gov.in

R-48605/2023

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाद्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.), फोन : 0734-2527715
मोबा. 9406808103, Email: mpphcl_ujjain@yahoo.in
क्र. 698/पय/मप्रपुहाइडेकालि/23/उज्जैन दिनांक : 29.05.2023

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 07/2023-24

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 07/2023-24 दिनांक 29.05.2023 के अंतर्गत जिला देवास एवं उज्जैन में स्कूलों के विभिन्न निर्माण कार्य एवं आपदा प्रबंधन सामग्री एवं उपकरणों हेतु स्टोर का निर्माण कार्य, एस.डी.ई.आर.एफ. इकाई, रतलाम हेतु ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2023_MPPHC_279800, 2023_MPPHC_279802, 2023_MPPHC_279803 आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 30.05.2023 17.00 बजे से** क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https:// www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/110082/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48596/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. – 462 011

NOTICE INVITING TENDER NO. 222/MTN/2023 (BW)

No./8488/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 31.05.2023
Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

● SSR Applicable :- SSR issued by M.P Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. Table-1 : Name of Work : Within 5 Year Maintenance (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Betul	1	6767000.00
2.	Seoni	1	580000.00

2. Table-2 : Name of Work : Post 5 Year (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Bhopal	1	4206000.00
2.	Rajgarh	1	6487000.00

3. Table-3 : Name of Work : Post 10 Year (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Sehore	1	7608000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **01.06.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/110119/2023 **(TENDER)**

R-48597/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 05/2023-24 निर्माण कार्य स्टोर रूम एस.डी.ई.आर.एफ. होमगार्ड दरीखाना, जिला जबलपुर (ऑनलाइन निविदा क्र. 2023_MPPHC_280192) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.06.2023 तक खरीद कर सायं 6:00 बजे तक** सब्मिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https:// www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/110126/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48603/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 07/2023-24 निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2F, 2G, 2H आवासगृह बहोरीबंद, जिला कटनी में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य (ऑनलाइन निविदा क्र. 2023_MPPHC_280251) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.06.2023 सायं 6:00 बजे तक** सब्मिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https:// www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/110127/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48604/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462 011 (GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 223/MTN/2023 (CBMS)

No./8482/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 31.05.2023
Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

1. Table No. 1 :- Name of Work - Post 5 Year (CBMS)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Balaghat	2	14365988.00

2. Table No. 2 :- Name of Work :- POST 10 YEAR (CBMS)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Khargone	1	11096893.00
2.	Sheopur	1	7871909.00

3. Table No. 3 :- Name of Work :- POST 15 YEAR (CBMS)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Balaghat	1	7003844.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **01.06.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/110121/2023 **(TENDER)**

R-48599/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. Of M.P.)
Block-II, 5th Floor, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. 462 011 (GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER EL-70

No./8485/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 31.05.2023
Online Percentage rate Tenders are invited for "Shifting/ Raising of High Voltage (HV)/Medium Voltage (MV)/Low Voltage (LV) lines and poles from alignment of PMGSY/ CMGSY Road from contractors having 'A' class valid license issued by Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical) and registered with MPPWD in appropriate class of contractors on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in**.
Contractors are to quote rate in percentage below/above or at par of the estimated rates given in BOQ including all Taxes except GST.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Chhindwara	4	19747484.00
2.	Sheopur	1	5434592.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **02.06.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed NIT and tender document on the above mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/110120/2023 **(TENDER)**

R-48598/2023

एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट (ADDET) 2023 के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

आवेदन पत्र भरने की तिथि 09.06.2023 से 23.06.2023 तक

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 09.06.2023 से 28.06.2023 तक

परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
25.07.2023 से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00 से प्रात: 08:00 बजे तक	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

परीक्षा शहर :- भोपाल, इंदौर ,जबलपुर ,ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम एवं नीमच।

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा की विस्तृत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.esb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क*

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 400/-
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	रु. 200/-
ऑनलाइन आवेदन- कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रु. 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रु. 20/-

*म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.एफ12-05/2023/1-एक, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन-पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन-पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी.ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।

विशेष निर्देश :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र,पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI)के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई - आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलक्युलेटर, लॉग टेबल्स, डिजीटल घड़ी एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अत: कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट- मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 07/2023 **संचालक**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

'चयन भवन' मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल-462011

Fax : +91-0755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/110134/2023

R-48606/2023

MADHYA PRADESH BUILDING DEVELOPMENT CORPORATION

(An Agency of Govt. of M.P. Public Works Department)
16–A, CEDMAP Building, Arera Hills, Bhopal (MP)-462011
Telephone No. : 0755-4853297
E-mail : einc-mpbdc@mp.gov.in, ajay.nagaria@mp.gov.in
NIT No. : 1163/MPBDC/PROC/2023/NIT-29
Bhopal, Dated : 02.06.2023

Madhya Pradesh Building Development Corporation invites online tender from bidders for the following works: -

S. No.	Name of Work	Probable Amount Rs. in Lacs	Period of Contract (in months)
1.	Engagement of travel agency for providing, running, operating and maintenance of various vehicles on monthly basis to MPBDC for Head Office and divisional offices in MP. (2nd Call)	348.00	24
2.	Deployment of manpower for office and personnel and services for office, security and housekeeping jobs. (2nd Call)	160.24	24

Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased online only from **05.06.2023 (18:00 hrs.) to 03.07.2023 (15:30 hrs.)** from website **www.mpbdc.gov.in.**

M.P. Madhyam/110174/2023 **MANAGING DIRECTOR**

R-48607/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011

IFB NO. WB–71/1105

No./8479/FA/WB/CMGSY/2023 Bhopal, Dated : 31.05.2023

Online item rate bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** for Implementation of Engineering Improvements of Blackspots under Community Participatory Road Safety Program for selected stretches under Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) Bhopal in Dhar (Ujjain Division) as under :-

S. No.	Name of District	Number of Packages	Total Estimated Cost (In Rs.)
1.	Ujjain	1	5005000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **01.06.2023 from 17.30 hrs**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed IFB and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/110123/2023 R-48601/2023 **(TENDER)**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011

IFB NO. WB–70/1104

No./8476/FA/WB/CMGSY/2023 Bhopal, Dated : 31.05.2023

Online item rate bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** for Implementation of Engineering Improvements of Blackspots under Community Participatory Road Safety Program for selected stretches under Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) Bhopal in Dhar as under :-

S. No.	Name of District	Number of Packages	Total Estimated Cost (In Rs.)
1	Dhar	1	973000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **01.06.2023 from 17.30 hrs**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed IFB and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/110122/2023 **(TENDER)**

R-48600/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 06/2023-24 (1) विशेष मरम्मत कार्य थाना जयसिंहनगर जिला-शहडोल, ऑनलाइन निविदा क्र. (2023_MPPHC_280193) (2) विशेष मरम्मत कार्य थाना अमलई जिला-शहडोल, निविदा क्र. (2023_MPPHC_280194) एवं (3) विशेष मरम्मत कार्य थाना मानपुर जिला-उमरिया, निविदा क्र. (2023_MPPHC_280196) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.06.2023 तक खरीद कर सायं 06:00 बजे तक** सब्मिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/110125/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48602/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 224/MTN/2023

No./8708/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 02.06.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **SSR Applicable :** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. **Table No. 1 : Name of Work -** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Balaghat	6	137849337.00
2.	Bhind	1	3079469.00
3.	Chhatarpur	1	11273323.00
4.	Chhindwara	1	5399951.00
5.	Gwalior	1	1768439.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **05.06.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/110179/2023 R-48608/2023 **(TENDER)**

MADHYA PRADESH BUILDING DEVELOPMENT CORPORATION

(An Agency of Govt. of M.P. Public Works Department)
16–A, CEDMAP Building, Arera Hills, Bhopal (MP)-462011
Telephone No. : 0755- 4853297, 0755-4853295
E-mail : einc-mpbdc@mp.gov.in, ajay.nagaria@mp.gov.in
NIT No. 1171/GM/MPBDC/NIT-30 Bhopal, Dated : 02.06.2023

NOTICE INVINTING TENDER

Madhya Pradesh Building Development Corporation invites online tender for the work of Architectural, Design & DPR Consultancy Services for Construction of 300 bedded Civil Hospital Sultania Bhopal (MP). Total cost of construction work is Rs. 6483 Lakhs and Probable Amount of Consultancy fee is Rs. 129.66 Lakhs.

Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased online only from **07.06.2023 (18:00 hrs.) to 28.06.2023 (15:30 hrs.)** from website **www.mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/110188/2023 R-48609/2023 **MANAGING DIRECTOR**

मध्यप्रदेश में मिशन लाइफ में होंगे 10 हजार कार्यक्रम

भोपाल, सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मिशन लाइफ में केंद्र शासन द्वारा सुझाये गये 7 थीम के अनुसार प्रदेश में अब तक 1400 से अधिक पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हो चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक इस तरह की 10 हजार गतिविधियां करने का लक्ष्य है। बोर्ड के 14 मैदानी कार्यालय इसे प्रदेश में अभियान की तरह संचालित कर आमजन को हर थीम के संबंध में लोगों के योगदान से जोड़ कर पर्यावरण-संरक्षण में उनके अमूल्य योगदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मिशन लाइफ के बारे में पहली बार प्रस्ताव रखा गया था, जिसको भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जन-आंदोलन के रूप में देखा गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ को जन-आंदोलन बनाने के लिए 7 थीम-जल-संरक्षण, ऊर्जा-संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अपशिष्ट को कम करना, हेल्दी लाइफ और ई-वेस्ट को कम करना में 25 तरह के कार्यक्रम सुझाये गये हैं। ये कार्यक्रम लोगों को जीवनशैली में छोटे-छोटे परिवर्तन कर पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे।

श्री ठाकुर ने बताया कि गौ-शालाएं गोबर, गौ-मूत्र आदि अपशिष्ट से धन अर्जित कर संपन्न बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'आत्मनिर्भर गौ-शाला' के लिए 12 से 26 मई 2023 तक हेकाथन का आयोजन किया गया।

10वीं और 12वीं के बाद अच्छा कॅरियर कैसे बनाएं

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

किसी भी स्टूडेंट के अच्छे कॅरियर के लिए दो बुनियादी बातें जरूरी हैं। एक, 10वीं के बाद उपयुक्त विषय चयन और दो, 12वीं के बाद अच्छे कोर्स और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान में प्रवेश। यह महत्वपूर्ण है कि 10वीं कक्षा के बाद विषय चयन करते समय स्टूडेंट्स की रुचि, योग्यता और क्षमता को देखा जाए। अक्सर यह पाया जाता है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि वे पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक कोई विषय चुनें। वास्तव में यह अच्छे कॅरियर का संकेत नहीं हो सकता है। दरअसी के बाद किसी स्टूडेंट के द्वारा जो मुख्य विषय हो सकते हैं, उनमें पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और आर्ट्स आदि प्रमुख बेसिक सब्जेक्ट हैं। इनमें से किसी भी विषय को लिया जाए उसके साथ अतिरिक्त विषय लिए जा सकते हैं। अतिरिक्त विषय में मैथ्स, कम्प्यूटर साइंस, आईटी, इन्टर्नशिप, फिजिकल एजुकेशन आदि शामिल होते हैं। खास बात यह भी है कि अतिरिक्त विषयों से भी विभिन्न प्रकार के कॅरियर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई स्टूडेंट कॉमर्स के साथ मैथ्स या कम्प्यूटर साइंस, आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेता है तो वह अपना कॅरियर कम्प्यूटर साइंस और आईटी में भी बना सकता है। 10वीं के बाद अतिरिक्त विषय चुनने में सावधानी और गंभीरता रखी जानी लाभप्रद होती है।

सभी विषयों में हैं कॅरियर की ऊंचाइयां

चाहे स्टूडेंट 10वीं के बाद किसी भी विषय का चयन करें, सभी विषयों में नई स्किल्स से सुसज्जित होने पर कॅरियर के मौके पहले की तुलना में अधिक हैं।

पीसीएम से इंजीनियर और अन्य कई कॅरियर

पीसीएम विषय रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बारहवीं के बाद जो प्रमुख कोर्स उपलब्ध हैं, वे हैं- बैचलर इन इंजीनियरिंग (बीई), बैचलर इन टेक्नोलॉजी (बीटेक), बैचलर इन आर्किटेक्चर (बीआर्क), बैचलर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए), बैचलर इन साइंस। पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग की कई कॅरियर आधारित अच्छी ब्रांच विभिन्न नई विशेषज्ञताओं के साथ उपलब्ध हैं। ये हैं- कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आदि।

पीसीबी स्ट्रीम से डॉक्टर और पैरामेडिकल की कई राहें

बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बारहवीं उत्तीर्ण होने के बाद उपलब्ध प्रमुख पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं- बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस), बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस), बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएमएस), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस), बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस (बीवीएमएस), बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमेस्ट्री, बीएससी इन बायो मेडिकल साइंस, बैचलर इन फिजियोथैरेपी, बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थैरेपी, बीएससी इन ऑडियोलॉजी, स्पीच एवं लैंग्वेज थैरेपी, पैथोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन रिहेबिलिएशन थैरेपी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स आदि।

कॉमर्स विषय से उद्यमिता में कॅरियर के बेहतर अवसर

कॉमर्स विषय चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद बीकॉम के अलावा बीबीए के विभिन्न विशेषज्ञता वाले डिग्री स्तरीय कोर्स उपयुक्त हो सकते हैं। इसके साथ-साथ बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम टैक्सेशन, बीकॉम कम्प्यूटर, बीकॉम फॉरेन ट्रेड प्रमुख हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स एवं मैनेजमेंट आधारित विभिन्न कोर्स भी

सरलता से कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, पांच वर्षीय बीकॉम एलएलबी, बैचलर इन रीटेल मैनेजमेंट, बैचलर इन स्टेटिस्टिक्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट (बीएमएस), बैचलर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आदि।

एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आधुनिक कृषि और विभिन्न कृषि क्षेत्रों में कॅरियर

कृषि विषय चुनने वाले पीसीए, विषय के स्टूडेंट्स के अलावा पीसीएम और पीसीबी विषय रखने वाले स्टूडेंट्स भी 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में विभिन्न कॅरियर बना सकते हैं। ऐसे छात्रों हेतु प्रमुख पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं- बीएससी इन एग्रोनॉमी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल ईको एंड फार्म मैनेजमेंट, बीएससी इन एग्रीकल्चरल मीटिओरोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल बायो टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, बीएससी इन एग्रोनॉमी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन बायो केमेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल केमेस्ट्री, बीएससी इन क्रॉप फिजियोलॉजी, बीएससी इन एग्रोटोमोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर।

आर्ट्स स्ट्रीम से भी कॅरियर अवसरों की कमी नहीं

मानविकी विषय चुनने वाले स्टूडेंट्स 12वीं के बाद-बीए की डिग्री विभिन्न विषयों के साथ कर सकते हैं।

कोई भी विषय चुनें सभी में समान अवसर

विभिन्न विषय चुनने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिये 12वीं के बाद कई ऐसी डिग्रियां हैं, जो सभी के लिए खुली हैं। जो प्रमुखतया इस प्रकार हैं-पांच वर्षीय बीए-एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन, टेक्सटाइल, मीडिया, इंटीरियर, बैचलर इन एलीमेंटरी एजुकेशन, बैचलर इन एडवरटाइजिंग, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, बैचलर ऑफ सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू), बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन पब्लिक रिलेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर इन एप्लेल डिजाइन, बैचलर इन ग्राफिक डिजाइन, बैचलर इन साइकोलॉजी, बैचलर इन पब्लिक रिलेशन, बैचलर इन जियोग्राफी, बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, बैचलर इन हिस्ट्री। सिविल सर्विस से आईएएस, आईपीएस के आकर्षक कॅरियर, राज्य सेवा परीक्षा से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे कॅरियर भी सभी के लिए खुले हुए हैं।

कॅरियर की नई ऊंचाइयों के लिए डिजिटल स्किल्स होंगी जरूरी

किसी भी विषय का चयन करने वाले स्टूडेंट इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि पहले जहां कम्पनियों के लिए डिग्रियां ही नौकरी देने का मानदंड होती थीं, वहीं अब कंपनियां विभिन्न विषय वाले छात्रों के जॉब के लिए डिग्री के साथ-साथ एक्स्ट्रा स्किल्स वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दे रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल स्किल्स की जरूरत 2025 तक बढ़कर नौ गुना हो जाएगी। खास पहलू यह भी है कि तमाम कोर्सेस गैर-वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले स्टूडेंट्स के द्वारा भी सीखे जा सकते हैं।

ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विषयों में कॅरियर की ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को परिश्रम और प्रतिस्पर्धा क्षमता के साथ बदलते दौर के लिए जरूरी डिजिटल स्किल्स को भी सीखना होगी।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India

(इण्डो–जर्मन टूल रूम, इन्दौर)

291–बी, 302–ए, सेक्टर–ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.)–452015
ई–मेल: trg@igtr-indore.com, Ph.: 0731–4210700, 4210709, 4210743

एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए स्थायी फीस निःशुल्क

एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट

प्रवेश सूचना-2023-24

ए.आई.सी.टी.ई. /एन.सी.व्ही.टी. स्वीकृत डिप्लोमा/आई.टी.आई पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर

सभी कोर्सेस में SC/ST छात्रों को ट्यूशन फीस निःशुल्क एवं उम्र में 3 साल की छूट

इंडो जर्मन टूल रूम, इन्दौर में निम्न कोर्सेस संचालित किये जा रहे है, सभी कार्सेस AICTE अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त है। इन सभी कोर्स की उद्योगों में बहुत मांग है तथा रोजगार की संभावना भी अत्यधिक है।

	क्र.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	न्यूनतम पात्रता	कोर्स की मान्यता	
GROUP "A"	1	एडवास डिप्लोमा इन टूल एण्ड हाई मेकिंग (ADTDM)	4 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण (सामान्य 60%) (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 50%) दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 19 वर्ष	AICTE	समूह 'A' के लिए स्कैन करें
	2	डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स (DIM)	3 साल			
	3	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस (DICS)	3 साल			
GROUP "B"	4	डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (D Voc)	3 साल	10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष		
	5	सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिष्ट ट्रेड	2 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष	NCVT (ITI)	समूह 'B' के लिए स्कैन करें
	6	सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड	2 साल			
	7	सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डर ट्रेड	1 साल			

- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप–A) के लिए आवेदन फॉर्म 24/04/2023 से कॉलेज में आकर या क्यू आर कोड स्कैन करके जमा कर सकेंगे।
- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप–A) के लिए प्रवेश परीक्षा दिनांक 25/06/2023 को होगी एवं प्रवेश 10वी के मेरिट एवं प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 03/07/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 4 से क्रमांक 7 (ग्रुप–B) के लिए प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आधार पर 24/04/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 5 से क्रमांक 7 के कोर्सस में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.igtr-indore.com देखे एवं कॉलेज में आकर जानकारी प्राप्त करें। कोर्स के फॉर्म वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। • प्रशासन एवं परिस्थिति के अनुसार किसी भी दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है।

deepak

R-48610/2023

सम्पर्क : सोमवार से शनिवार सुबह 9.30 से शाम 5:00 तक

291/बी–302/ए, सेक्टर–ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर– 452015

आप 9009000276, 7415816011 अथवा 9977703559 पर Whatsapp द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते है

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, RRNMU भवन
द्वितीय तल, 17/1, 17/2 एवं 18 असरावद खुर्द, तपाल घाटी, खण्डवा रोड, इंदौर
Email-gmrrdaindor@rediffmail.com

क्रमांक 1062/ले.अ./ग्रा.स./2023 इन्दौर, दिनांक : 29.05.2023

विज्ञप्ति

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर सहायक ग्रेड-1 पद संख्या 1 एवं सहायक ग्रेड-2 पद संख्या 1 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 15.06.2023 तक सायं 5.30 तक** आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यतायें निम्नानुसार हैं :-

स.क्र.	अनिवार्य योग्यता
1.	**प्रतिनियुक्ति हेतु** - राज्य शासन के विभाग PWD/WRD/PHE में कार्यरत स्नातक अभ्यर्थी जिन्हें सहायक ग्रेड-I एवं सहायक ग्रेड-II के पद पर कार्य का अनुभव हो। **संविदा हेतु** - राज्य शासन के निर्माण विभाग में सहायक ग्रेड-I एवं सहायक ग्रेड-II के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी अधिकतम आयु 62 वर्ष।

म.प्र. माध्यम/110075/2023 R-48595/2023 **महाप्रबन्धक**

नवविवाहित बेटियां भी पात्रतानुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में होंगी लाभान्वित

झाबुआ, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से झाबुआ जिले की आंदला जनपद पंचायत में 300 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुये कहा कि नवविवाहित बेटियों को भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्रतानुसार लाभान्वित करने आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। बेटियां हमारे लिए वरदान हैं, कोई बोझ नहीं हैं। एक समय था जब बेटियों के प्रति दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम सकारात्मक था। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत के बाद लाड़ली लक्ष्मी योजना और अब लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। शिक्षण कार्य में भी बेटियों की हिस्सेदारी कम से कम आधी हो, इसकी पहल की गई है। आज प्रदेश की बेटियां शिक्षण सुविधाओं का लाभ लेते हुए सम्मानजनक स्थिति में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नवविवाहित बेटियों के लिए कामना करते हैं कि उनका सदैव मंगल और कल्याण हो। उनके पाँव में कांटा भी न लगे। विवाह आत्माओं का पवित्र बंधन है। पति-पत्नी को एक-दूसरे का सहयोगी बनना है। दोनों आनंदपूर्वक रहें और परिवारों का सम्मान बढ़ाने का कार्य भी करें। विवाह में एक-दूसरे को दिए गए वचन भी निभाएं। श्री चौहान ने कहा कि विवाहित दम्पतियों को कन्या विवाह-निकाह योजना में 49 हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है, इससे वे गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले में व्यवस्थित रूप से हो रहे समारोह के लिए प्रशासनिक अमले और आयोजन में सहयोगी व्यक्तियों को बधाई दी।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था के लिये आर्थिक सहायता

भोपाल, मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक जिले में छात्रावास

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास एवं 50 सीटर बालक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही ब्लॉक मुख्यालय में विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने के मकसद से किराये के भवन में छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा जिलों के लिये वर्ष 2023-24 में कन्या छात्रावास भवनों के लिये 12 करोड़ रुपये एवं बालक छात्रावास भवन के लिये 5 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये मेधावी पुरस्कार योजना नियम-2010 लागू किये गये हैं। योजना में जिला स्तर पर इस वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। योजना में कक्षा 10वीं बोर्ड में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 5-5 हजार रुपये, कक्षा 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 10-10 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं। पुरस्कृत विद्यार्थियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाता है।

श्रमिक वर्ग के लिए बढ़ाएंगे स्वास्थ्य और उपचार सुविधाएं - मुख्यमंत्री

जनजातीय और श्रमिक बहुल धार जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भोपाल में श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुये।

भोपाल, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक प्रस्ताव भी केंद्र को देगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ आयोजित एक बैठक में कहीं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल धार जिले में श्रम मंत्रालय अंतर्गत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की पहल के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का आभार माना।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में श्रम विभाग के चिकित्सालयों में सुविधाएं बढ़ाने और श्रमिकों के उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विचार-विमर्श किया। साथ ही नगरीय निकायों के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए भी श्रम विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के संस्थान में कार्यरत श्रमिकों और अंचल की अन्य औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों के बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने की पहल सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्य तत्परता से करवाए जाएंगे। इसी तरह जिलों में स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण और विकास के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाएं दिलवाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब उद्योग एवं व्यवसायों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के प्रबंध आवश्यक हैं। इस संबंध में श्रम मंत्रालय सजग है। वस्त्र व्यवसाय के कारीगर, पत्थर खदान श्रमिक और अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल के लिए अनुमोदन हुआ है। इसके लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है। श्री यादव ने अन्य जिले बैतूल, छतरपुर, दमोह, गुना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सीहोर, सिवनी, सीधी और उमरिया में अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सक पदस्थ किए जा रहे हैं। इंदौर के ईएसआईसी अस्पताल पर साढ़े 3 लाख से अधिक श्रमिक निर्भर हैं। यहां सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में एक ईएसआईसी अस्पताल, 6 ईएसआईएस हॉस्पिटल और 42 डिस्पेंसरी संचालित हैं। प्रदेश के करीब 10 लाख श्रमिक इनका लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीथमपुर और जबलपुर में 100-100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल और मैहर एवं केमूर में डिस्पेंसरी के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन किया जा चुका है। इंदौर के 300 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में प्रतिदिन 1200 बाह्य रोगी उपचार के लिए आते हैं। इस अस्पताल के 500 बिस्तर क्षमता में उन्नयन का कार्य भी चल रहा है। अस्पताल में हृदय रोग, कैंसर रोग के उपचार के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। पीथमपुर में 100 बिस्तर क्षमता के ईएसआईएस अस्पताल के लिए 117 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रदेश के भोपाल, देवास, ग्वालियर, इंदौर, नागदा और उज्जैन में ईएसआईएस अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सनावद जिला खरगोन, बीना जिला सागर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रीवा, नर्मदापुरम, खण्डवा और शाजापुर स्थित 'डिस्पेंसरी-कम-ब्रांच ऑफिस' में चिकित्सक पदस्थ किए गए हैं।

माँ तुझे प्रणाम योजना

राष्ट्र की सीमाओं का दर्शन राष्ट्र प्रेम बढ़ाने में सहायक - मुख्यमंत्री

भोपाल, राष्ट्र की सीमाओं तक जाकर सेना के दायित्व निर्वहन को देखना युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करने में सहायक हैं। 'माँ तुझे प्रणाम' योजना में वाघा-हुसैनीवाला (पंजाब) के भ्रमण पर जा रहीं प्रदेश की लाड़ली बेटियों को यह देखने का विशेष अवसर मिलेगा कि सैनिक और सुरक्षा बल किस तरह सीमाओं की रक्षा करते हैं। बेटियां मध्यप्रदेश की माटी वहां ले जा रही हैं, साथ ही वहां की माटी भी यहां लेकर आएंगी। हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा से इतिहास रचें, ऐसी कामना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित नए रवीन्द्र भवन के गौरान्जनी सभागार में मध्यप्रदेश से वाघा बार्डर जा रही 120 बेटियों को रवाना करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2006 में लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। उन्होंने अनेक बेटियों को गोद में उठा कर दुलार भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए सबसे सुंदर पल वही होते हैं जब वे लाड़ली बेटियों के साथ होते हैं। योजना ने बेटियों के प्रति समाज

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत वाघा बॉर्डर जाने वाली बेटियों को रवाना करते हुये।

के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब यह योजना मात्र योजना नहीं, बल्कि ब्रांड है बेटियों के सशक्तिकरण का। कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। लाड़ली बेटियां जीवन में जो भी बनना चाहें बन सकती हैं। बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का प्रयास सभी बेटियों को करना है। बेटियां ऐसी भूमिका निभायें कि माता-पिता भी गर्व करें। मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस भरने का जिम्मा राज्य सरकार ने लिया है। हम सभी बेटियों को आकाश में उड़ान भरने दें। पढ़ाई के साथ खेल क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। खेलो इंडिया में भी बेटियों ने प्रतिभा प्रदर्शन किया। किसी भी क्षेत्र में बेटियां पीछे नहीं हैं।

खेल, युवक कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि 'माँ तुझे प्रणाम' योजना बेटियों का सेल्फ कांफिडेंस बढ़ाती है। युवा आजकल डिजिटल वर्ल्ड में मशरूफ रहते हैं। युवाओं को देश-प्रेम के साथ हमारी ऐतिहासिक संस्कृति से जुड़ना आवश्यक है।

नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्यप्रदेश को तीन स्कॉच अवॉर्ड

भोपाल, नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये मध्यप्रदेश को 3 स्कॉच अवॉर्ड प्रदान किए गए हैं। शी-लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवॉर्ड-2023 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक श्री सतेंद्र सिंह तथा अपर आयुक्त श्रीमती रुचिका चौहान ने पुरस्कार प्राप्त किया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून-2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरंभ की गयी थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का मध्यप्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश में योजना के विभिन्न घटक में अभी तक साढ़े 9 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए आवास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रदेश में योजना की सफलता के लिए राज्य द्वारा किये गये कई नवाचार तथा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है। योजना के ए.एच.पी. घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ए.एच.पी. घटक के क्रियान्वयन के लिए भू-स्वामी हक पर समयबद्ध अवधि में शासकीय भूमि नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी गई है। साथ ही पंजीकृत श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रुपये तक अतिरिक्त अनुदान 'मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास' योजना से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

परशुराम लोक

जानापाव की पहाड़ी पर भी पहुंचेगा नर्मदा का जल, रोप-वे भी लगेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के जानापाव में भगवान परशुराम लोक का भूमिपूजन किया।

इंदौर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर जिले की पावन स्थली जानापाव में भगवान परशुराम लोक के निर्माण का भूमिपूजन किया। उन्होंने भगवान परशुराम की जन्म-स्थली जानापाव की पहाड़ी तक नर्मदा जल लाने तथा रोप-वे लगाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जानापाव में 10 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से परशुराम लोक का निर्माण कर तीर्थ-स्थल सर्व सुविधाओं से युक्त बनाया जायेगा, जिससे श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले।

श्री चौहान ने भगवान परशुराम की जन्म-स्थली तथा अनेक नदियों की उद्गम स्थली जानापाव में भगवान परशुराम के नव-निर्मित मंदिर में पूजा-अर्चना कर पवित्र जल कुण्ड के दर्शन किये। उन्होंने कहा कि गत अप्रैल माह में जब मैं यहां आया था, तभी यहां परशुराम लोक बनाए जाने की घोषणा की थी। लगभग एक माह की अवधि में ही घोषणा पर अमल प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृति देकर आज भूमिपूजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, लेकिन धर्म उसका आधार होता है। प्राचीन काल में भी शासक वर्ग पनघट, मंदिर, धर्मशाला एवं सार्वजनिक प्रयोजन के निर्माण कराते थे। राज्य सरकार भी विकास के विभिन्न कार्यों के साथ विभिन्न धर्म-स्थलों का विकास भी करा रही है। उन्होंने कहा की जनता के विकास और सुविधाओं के लिए योजना भी बने और ऐसे पावन लोक भी बनें। इस दिशा में राज्य सरकार सचेष्ट होकर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर माँ नर्मदा का जल लाना एक कठिन कार्य है, लेकिन विभिन्न चरणों में पंपिंग के द्वारा यहां नर्मदा का जल लाया जाएगा।

संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि यह पावन स्थली श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाओं से युक्त हो गयी है। परशुराम लोक निर्माण के लिए भूमिपूजन हुआ है। वहीं ढाई करोड़ रुपये की लागत से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के फरसे से ही देवभूमि केरल का निर्माण हुआ था। वे न केवल हमारे आराध्य हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। सुश्री ठाकुर ने कहा कि मह क्षेत्र के 90 ग्रामों ने एक अनोखी पहल की है।

इंदौर की शान नेहरू स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा - मुख्यमंत्री

इंदौर, मध्यप्रदेश देश का दिल और इंदौर मध्यप्रदेश की धड़कन है। इंदौर का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंदौर के विकास में कोई कोर-कसर नहीं रखी जा रही है। यहां तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इंदौर सोलर सिटी बने, इस दिशा में सभी मिलकर प्रयास करें। इंदौर में अहिल्या लोक भी बनाया जायेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इंदौर गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं। उन्होंने सोलर सिटी बनाये जाने के लिये नागरिकों को संकल्प भी दिलवाया।

लोकमाता अहिल्या बाई का जन्म-दिवस इंदौर में पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्टों का दमन एवं सज्जनों का उद्धार राजधर्म है। उन्होंने निर्देश दिये कि इंदौर में अपराधियों के विरुद्ध गंभीर प्रयास करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने सचेत करते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता में इस बार भी पूरे देश में अव्वल आये। इसके लिये और अधिक गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। देश के अनेक शहर स्वच्छता में अव्वल आने के लिये गंभीरता से जुटे हुए हैं। इंदौरियों को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं चूक न हो जाये। सब मिलकर इंदौर को पुन: अव्वल बनाने के लिये पुरजोर प्रयास करें। स्वच्छता इंदौर की पहचान और ब्राण्ड है। इसे हर हाल में कायम रखा जाये।

मुख्यमंत्री ने इंदौर नगर निगम द्वारा बनाये जाने वाले उमंग पार्क के कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही सोलर सिटी के संकल्प-पत्र का विमोचन और वृक्ष एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टार्टअप के सहयोग के लिये बनाये गये इन्क्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ भी किया।

पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर का गौरव दिवस मनाकर हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को इंदौर के गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि इंदौर संस्कार एवं संस्कृति का शहर है। इस शहर में नशे की विकृति को समाप्त किये जाने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश में 31 दिसम्बर, 2022 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों का होगा सर्वेक्षण

भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि 31 दिसम्बर, 2022 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण जल्द करवायें। साथ ही 31 दिसम्बर, 2016 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्यवाही आगामी 30 जून तक पूरी करें। नियमों में जरूरी परिवर्तन शीघ्र करें। श्री सिंह ने यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान दिए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 50 हजार हितग्राहियों को हाथ ठेला खरीदने के लिये 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। पथ विक्रेता और हाथ ठेले वालों से वार्षिक शुल्क लेने का आदेश तुरंत जारी करें। किसी भी हालत में इनसे रोज वसूली नहीं होना चाहिए। पथ विक्रेताओं का पंजीयन नि:शुल्क कराएं।

श्री सिंह ने कहा कि कायाकल्प अभियान में स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करवाएं। जिन नगरीय निकायों में 10 जून तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हों, वहां के कार्यों की स्वीकृति निरस्त करें।

पर्यावरण-संरक्षण से आमजन को जोड़ने के प्रयास बढ़ायें

भोपाल, पर्यावरण-संरक्षण से आमजन को जोड़ने के लिए राज्य में अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून पर अंकुर अभियान से जुड़े नागरिकों और संगठनों, यूथ फॉर लाइफ से जुड़े युवा साथियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बद्ध औद्योगिक इकाइयों और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रतिदिन पौध-रोपण करते हैं। पर्यावरण प्रेमी बड़ी संख्या में इस गतिविधि से जुड़ते जा रहे हैं। नागरिक विभिन्न अवसर पर पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में नागरिक सजग एवं सक्रिय हुए हैं।

कार्यक्रम में रामसर वेटलैंड साइट्स को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने वन विभाग सहित विभिन्न निकायों से समन्वय किया है। कार्यक्रम में चयनित 9 उद्योगों और संस्थानों को पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 5 शोधार्थियों को क्लाइमेट चेंज पीएच.डी. फैलोशिप के स्वीकृति-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। गौ-शालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए गए अभियान में आत्मनिर्भर गौ-शाला हैकेथॉन के प्रतिभागी भी पुरस्कृत होंगे।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्टार्ट-अप के लिये मिलेगी सहायता

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रुपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम रुपये 72 लाख की सीमा में देय होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं :-

- मंत्रिपरिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
- दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दमोह के मध्य में स्थित होने तथा इन तीनों क्षेत्रों से अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से अधिक होने के कारण इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ जिलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीट्स की भी वृद्धि हो सकेगी।
- मंत्रिपरिषद ने वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जनधायल करने एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग में संचालित योजना कलाकार कल्याण कोष को संशोधित करते हुए, नवीन 'मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023' जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।
- पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हजार रुपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था।
- नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की जाना है, जिसमें कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये दिए जा सकेंगे।
- शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम एक लाख रुपये दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई-बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जायेगा।
- वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी आने के बाद केंद्र सरकार ने ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थापित पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युत गृहों में स्थित 400/220 के.व्ही. सब स्टेशनों में विभिन्न कार्य जिनकी कुल लागत 85 करोड़ 35 लाख रुपये है, का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया। इस कार्य के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने शासन द्वारा 6 करोड़ 54 लाख रुपये अंशपूंजी के रूप में, पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से 58 करोड़ 86 लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा 19 करोड़ 95 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन किया।
- मंत्रिपरिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6 हजार 474 अस्थाई पदों की 31 मार्च 2026 तक के लिए निरंतरता का अनुमोदन करते हुए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत किया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

ट्रेवलर्स च्वाइस अवॉर्ड - 2023

मध्यप्रदेश पर्यटन की 12 यूनिट्स ने जीता अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड

भोपाल, विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था 'ट्रिप एडवाइजर' U.S. (यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका) के ट्रेवलर्स च्वाइस अवॉर्ड-2023 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर्स च्वाइस अवॉर्ड जीता है। निगम के प्रबंध संचालक श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पलाश रेसीडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसॉर्ट मोचा, बायसन रिसॉर्ट मढ़ई, कलचुरी रेसीडेंसी जबलपुर, रॉक एण्ड मनोर पचमढ़ी, चंपक बंगलो पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीशमहल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़ एवं तानसेन रेसीडेंसी ग्वालियर को अवॉर्ड मिला है। वहीं निगम की ओरछा स्थित इकाई बेतवा रिट्रीट ने संस्था का 'बेस्ट ऑफ बेस्ट' अवॉर्ड 2023 जीता है।

प्रबंध संचालक श्री सिंह ने निगम की इकाइयों को विश्वस्तरीय अवॉर्ड प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह विषय न केवल मध्यप्रदेश पर्यटन अपितु संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इकाइयों को सम्मान जनक स्थान तक पहुंचाने में इकाइयों के सभी वरिष्ठ प्रबंधकों के कुशल प्रबंधन एवं मार्गदर्शन के साथ सभी कर्मचारियों का सर्वाधिक योगदान है।

'ट्रिप एडवाइजर' कम्पनी संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर गये पर्यटकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर हर वर्ष यह अवॉर्ड प्रदान करती है। पर्यटकों की ओर से दुनियाभर के होटल, रेस्तरां और दूसरे स्थानों को दी हुई रेटिंग के आधार पर ट्रेवलर्स च्वाइस अवॉर्ड के लिए चुना जाता है। दुनियाभर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं।

जन-जन को जोड़ने वाली धर्म-संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक के शिला-पूजन कार्यक्रम में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करते हुये।

सीहोर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में 211 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विजयासन माता के भव्य देवीलोक का शिला-पूजन किया। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों के साथ जन-जन को जोड़ने वाली धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। सलकनपुर में देशभर के मठ, मंदिर, शक्तिपीठ, अखाड़ों के साधु, संत, महंत और पुजारियों की उपस्थिति में भव्य देवीलोक निर्माण के भूमि-पूजन में लगभग एक लाख श्रद्धालु साक्षी बने।

मुख्यमंत्री ने अपार जन-समूह के साथ माँ की स्तुति भी की। उन्होंने कहा कि यह माता का आशीर्वाद ही है कि बहन-बेटियों को गलत नजर से देखने और उनके साथ गलत करने वालों को सरकार ने फाँसी देने का कानून बनाया है।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार माता का भव्य देवीलोक उनके ही आशीर्वाद से बनवा रही है। माँ का ही आशीर्वाद है जो उनकी सरकार ने बहनों के सम्मान और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई। उन्होंने नारियों के सम्मान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण और सम्मान के लिए लाड़ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहित अनेक योजनाएं संचालित की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैया के मंदिर परिसर में 166 करोड़ रुपये से मंदिर संरचनाओं के साथ ही 64 योगिनी, नवदुर्गा के नौ स्वरूप की प्रतिकृति के साथ ही देवी महात्म, दुर्गा सप्तशती और विभिन्न शक्तिपीठ की आकृतियों के निर्माण के साथ ही श्लोक उकेरे जायेंगे। मुख्यमंत्री ने देश के सभी शक्तिपीठ से आए जल और पवित्र मिट्टी का भी शिलाओं के साथ पूजन किया। यह सभी सामग्री देवीलोक के निर्माण में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के नीचे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिये 45 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने माँ और साधु-संतों से प्रदेश की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लिया। सांसद विदिशा श्री रमाकांत भार्गव ने भी संबोधित किया।

श्री चौहान ने सलकनपुर में देवीलोक प्रदर्शनी और निर्माणाधीन महादेवी लोक के मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने मंच स्थल पर बनाई गई माता विजयासन मंदिर की प्रतिकृति के दर्शन किए।

एक जिला-एक उत्पाद योजना की मॉनीटरिंग के लिये समिति गठित

भोपाल, मध्यप्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद एवं मूल्य संवर्धन योजना की मॉनीटरिंग के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

समिति के अन्य सदस्यों में अपर सचिव एवं प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी बोर्ड), संचालक कृषि अभियांत्रिकी को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास होंगे।

जिला स्तर पर एक जिला-एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित होगी। समिति के सदस्य सचिव उप संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास होंगे। अन्य सदस्यों में परियोजना संचालक (आत्मा), महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, सहायक कृषि यंत्री और जिला मुख्यालय स्तर पर सचिव मण्डी समिति को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री जबलपुर में अंतरित करेंगे लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खातों में राशि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लाड़ली बहना योजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन से पात्र हितग्राही के परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। साथ ही व्यापक स्तर पर योजना लागू होने से ग्राम और शहरों की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव होंगे। पूर्व में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की इम्पेक्ट स्टडी से भी यह तथ्य सामने आया है। इस नाते अर्थशास्त्रियों, योजना और नीति-निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अध्ययन का विषय बनेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक बैठक में योजना में हुए पंजीयन और आगामी 10 दिवस की गतिविधियों के संबंध में कहीं।

मुख्यमंत्री ने योजना में प्राप्त आवेदन-पत्रों और संबंधित आगामी कार्यक्रमों के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। बताया गया कि शहरी क्षेत्र के वार्डों में भी जन-प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बहनों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। ग्रामों में 8 जून को लाड़ली बहना ग्राम सभाएं होंगी।

लाड़ली बहनों को वितरित किये जायेंगे स्वीकृति-पत्र

श्री चौहान ने कहा कि मंत्री, सांसद और विधायक विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक से 7 जून की अवधि में पात्र बहनों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। ग्रामों में भजन, मंगल-गीत और लाड़ली बहना गीतों की प्रस्तुति भी होगी। कुछ जिलों में योजना पर केंद्रित प्रभावशाली नुक्कड़ नाटकों के मंचन की भी योजना बनाई गई है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन गतिविधियों को उत्सव के रूप में किया जाये।

मुख्यमंत्री 10 जून को जबलपुर में राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजना की पात्र हितग्राही बहनों के खातों में एक हजार रुपये की राशि अंतरित करते हुए उन्हें संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न जिलों में एक से 9 जून की अवधि में प्रतीकस्वरूप बहनों को स्वीकृति-पत्र प्रदान करने के लिए भ्रमण भी करेंगे।

योजना में एक करोड़ 25 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं। पात्र बहनों को योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक के स्तर पर डी.बी.टी. संबंधी कार्यवाही भी की गई है। तकनीकी कारणों से जहां इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका है, वहां तेजी से कार्य हो रहा है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में

मुरैना, पन्ना, सिंगरौली, नीमच, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर एवं धार जिलों में

एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006,
9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण

- कैरियर की खबरें
- राम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अटेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

रेयाना बरनावी

पहली बार सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष में पहुंची

पहली बार अरबी महिला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पहुंची है। सऊदी अरब की कैंसर वैज्ञानिक रेयाना बरनावी सहित चार एस्ट्रोनॉट्स निजी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से आईएसएस पहुंचे हैं। इनमें सऊदी के फाइटर पायलट अलीअल करनी भी शामिल हैं। अमेरिका के कैप कैनेवरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर उड़ान भरी। ये लोग करीब एक हफ्ते आईएसएस पर रुकेंगे। निजी कंपनी की अंतरिक्ष के लिए यह दूसरी उड़ान थी। पहली उड़ान में तीन कारोबारी अंतरिक्ष की सैर के लिए गए थे।

पसांग दावा शेरपा

27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे

पसांग दावा शेरपा विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने कामी रीता शेरपा के शिखर पर सर्वाधिक बार पहुंचने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। संयोग है कि इससे पहले 14 मई को भी उन्होंने कामी रीता के 26वीं बार एवरेस्ट पर पहुंचने की बराबरी की थी। इस तरह इस सत्र में एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 1988 में वे पहली बार पहुंचे थे।

रैंडी विलियम्स

दुनिया के सभी देशों की यात्रा कर चुके

सैन डियागो के रैंडी विलियम्स ने दुनिया के सभी देशों की यात्रा पूरी कर ली है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के अलावा दो आब्जर्वर राष्ट्र वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन की यात्रा भी की है। उन्होंने एक दशक पहले इस सफर की शुरुआत की थी। विलियम्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के पास 11 एकड़ जमीन खरीदकर अपना एक देश भी बसा लिया है, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ स्लोजायस्तान रखा है।

यूरोपीय संघ ने

मेटा पर लगाया 1.2 अरब यूरो का जुर्माना

यूरोपीय संघ की नियामक एजेंसी ने फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा पर रिकॉर्ड 1.2 अरब यूरो का जुर्माना लगाया है। मेटा को डेडलाइन के साथ सख्त चेतावनी भी दी गई है। यूरोपीय संघ की अदालत के फैसले के बावजूद मेटा ने यूरोप के यूजरों का डाटा अमेरिका के साथ शेयर किया। आइरिश डाटा प्रोटेक्शन कमीशन (डीपीसी) यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जांच एजेंसी की अधिकारी के अनुसार मेटा मूल अधिकारों और डाटा सब्जेक्ट्स की आजादी के सामने मौजूद जोखिमों को समझने में नाकाम हुई है।

सुमित सुलान

भारतवंशी को मिला वीरता पदक

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में पदस्थ भारतीय मूल के अधिकारी 27 वर्षीय सुमित सुलान ने उनके दो सहयोगियों पर हमला करने वाले एक अपराधी को गोली मारी थी, इसके साथ ही उन्होंने वृद्ध महिला का जीवन भी बचाया। व्हाइट हाउस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 911 नंबर पर की गई घरेलू हिंसा की शिकायत की जांच करने के दौरान हुए हमले से नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करते हुए वीरोचित कार्य किया है।

हरि बुद्ध मागर

बिना पैर एवरेस्ट फतह किया

अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान अपने दोनों पैर खो चुके गोरखा रेजिमेंट के बुद्ध मागर ने माउंट एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास रच दिया है। 43 वर्षीय हरि बुद्ध मागर ब्रिटेन में रहते हैं और उन्होंने दूसरों को प्रेरित करने और विकलांगता के प्रति लोगों के नजरिये को बदलने के लिए ये चुनौती स्वीकार की थी। उन्होंने 11 दिन पहले नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम के साथ चढ़ाई शुरू की थी।

भारतीय शांति सैनिकों को

मरणोपरांत मिलेगा सम्मान

तीन भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के लिए सेवा करने और कर्तव्य पालन के लिए दिया जाता है। तीन भारतीय सैनिकों में क्रमश: शिशुपाल सिंह, शाबर ताहेर अली और सनवाला राम विश्नोई हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ शिशुपाल और सनवाला राम ने काम किया है। वहीं शाबर ताहेर इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए कार्यरत थे।

चेक गणराज्य

एथलीट ने बनाया प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

चेक गणराज्य के एथलीट जोसेफ सालेक उर्फ जोस्का ने 9 घंटे 38 मिनट और 47 सेकंड तक प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पेशे से डॉक्टर और शिक्षक जोस्का ने ऑस्ट्रेलिया के डेनियल स्कैली का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्कैली ने 2022 में 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड तक प्लैंक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके लिए पोस्का पांच साल से अभ्यास कर रहे थे। शराब और सिगरेट पीना भी छोड़ दिया।

इटली

पालतू लामा ने ऊंची कूद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

इटली के किसान वाल्टर मायर के पालतू लामा ने 4 फुट 3 इंच ऊंची छलांग लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बोटेंग डी ओरो नाम के लामा ने इटली के एक टेलीविजन शो के सेट पर दो बार ऊंची कूद का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन यहां वह असफल रहा था, फिर शांत जगह में उसने यह रिकॉर्ड बनाया। लामा अपने मजबूत पैरों और झबरीले बालों के लिए जाना जाता है।

याकूब पटेल

भारतवंशी ब्रिटेन में मेयर बना

ब्रिटेन में भारतीय मूल के याकूब पटेल को मेयर चुना गया है। गुजरात में जन्मे याकूब वहां परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और शहर का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। याकूब को लंकाशायर काउंटी के शहर प्रेस्टन का मेयर चुना गया है। वे 1976 में बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद ब्रिटेन चले गए थे। 1975 में एवेनहम वार्ड के लिए लेबर पार्टी के पार्षद के रूप में उन्हें चुना गया था।

गोस्पोडिनोव और रोडेल ने

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता

बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पहला अवसर है जब बुल्गारिया को बुकर पुरस्कार दिया गया है। टाइम शेल्टर ने पुरस्कार की दौड़ में शामिल 5 किताबों को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता है। 62,000 डॉलर की राशि को लेखक और अनुवादक के बीच बांटा जाएगा।

इवान गेर्शकोविच की

हिरासत अवधि बढ़ी

अमेरिका के पत्रकार इवान गेर्शकोविच की हिरासत अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नागरिक गेर्शकोविच को 30 अगस्त तक कैद में रखने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें मार्च में रूस में एक रिपोर्टिंग यात्रा के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नौकरी देने वाली एजेंसी और अमेरिकी सरकार ने आरोपों से इंकार किया है।

स्वीना पन्नू

अमेरिका में सुपीरियर कोर्ट जज बनीं

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम द्वारा घोषित सुपीरियर कोर्ट के 27 नए जज में भारतवंशी वकील स्वीना पन्नू भी शामिल हैं। वे सैन्टिनेल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज के रूप में काम करेंगी। वे 2020 से सैन्टिनेल्स काउंटी काउंसिल में डिप्टी काउंटी काउंसिल हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन स्कूल ऑफ लॉ से मास्टर डिग्री हासिल की है।

मंगल ग्रह से

पृथ्वी पर भेजा गया सिग्नल रिसीव हुआ

धरती से दूर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज के बीच मंगल ग्रह से धरती पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर (टीजीओ) ने 16 मिनट में सिग्नल भेजा है। दरअसल यह एक एनकोडेड मैसेज है, जिसे मार्स से धरती पर भेजकर वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की है कि असल में किसी एलियन के सिग्नल भेजने पर क्या हम उसे रिसीव कर पाएंगे या नहीं।

ब्रिगिट हेनरिक्स

ओलिंपिक प्रमुख का इस्तीफा

फ्रांस की ओलिंपिक समिति की पहली महिला प्रमुख ब्रिगिट हेनरिक्स ने इस्तीफा दे दिया है। अगले साल होने वाले पेरिस ओलिंपिक से पहले यह फ्रांस में खेलों से जुड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। फ्रांस की पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्रिगिट जून 2021 से इस पद पर काबिज थीं।

स्मृति शेष

पूर्व क्रिकेटर ब्रायन का निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान ब्रायन बूथ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज बूथ ने 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 टेस्ट खेलकर 42.21 की औसत से 1,773 रन बनाए थे।

प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सरथ बाबू का निधन

फिल्म अभिनेता सरथ बाबू का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने 1973 में तेलुगु फिल्म रामराज्यम से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों में काम किया।

रे स्टीपेन्सन का निधन

आरआरआर फिल्म में गवर्नर स्कॉट बक्सटन की भूमिका निभाने वाले आयरिश एक्टर 58 वर्षीय रे स्टीपेन्सन का निधन हो गया। आरआरआर में उन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है। रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ यह फिल्म स्टीपेन्सन के कैरियर की एकमात्र इंडियन फिल्म है।

महान कलाकार टीना टर्नर का निधन

रॉक एन रोल की क्वीन के नाम से मशहूर अमेरिका में जन्मी टीना टर्नर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टीना ने ज्यूरिख के पास अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थीं। उनको सर्वकालीन महान रिकॉर्डिंग कलाकारों में एक माना जाता है।

अभिनेता नीतेश का निधन

टेलीविजन कलाकार, राइटर और डायरेक्टर नीतेश पांडे का 51 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से निधन हो गया। उन्होंने फिल्म 'बधाई हो', 'मदारी', 'ओम शांति ओम', 'दबंग-2' में अभिनय किया था। 1990 से थिएटर करने वाले नीतेश धारावाहिक 'अनुपमा' से खासे लोकप्रिय हुए थे। वे स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस 'ड्रीम कैसल' प्रोडक्शन्स के मालिक भी थे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

खनिज साधन विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक भौमिकीविद (Assistant Geologist) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
09/2023/31.05.2023	13.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	20.07.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग हेतु सहायक भौमिकीविद (Assistant Geologist) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 13.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. अन्य किसी रीति से भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (HighSchool) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत केियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 16.06.2023 से 15.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   भू-विज्ञान (जियोलॉजी) में स्नात्तकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलॉजी) में एम.टेक. उपाधि।

2. **रोज़गार पंजीयन -**

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

रिक्त पदों का विवरण तथा अर्हताएं

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	सहायक भौमिकीविद (Assistant Geologist)	3	2	2	2	1	10	1	1	1	1	0				
	मुख्य भाग (87%)	3	2	1	1	1	09	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	प्रावधिक भाग (13%)	1 (काल्पनिक)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-				

टीप :- 1. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ 1/12/004/2022/12/1, दिनांक 28.03.2023 के अनुसार **मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण का उल्लेख भी उपरोक्त तालिका में किया गया है।**

उक्त पदों हेतु परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।

आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम उपरोक्तानुसार विभाजन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त विभाजन को मान्य करते हुए आवेदन-पत्र भरे जाएंगे तथा साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व इस आशय का अभिवचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा साक्षात्कार हेतु अनर्ह किया जाएगा।

2. EWS श्रेणी में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वितिह प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु जारी EWS प्रमाण-पत्र धारित करना अनिवार्य होगा।

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**सहायक भौमिकीविद (Assistant Geologist)**
	विभाग का नाम	:	**खनिज साधन विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500(12)
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	भौमिकी अन्वेषण कार्य का निष्पादित करना, भौमिकी प्रतिवेदन तैयार करना एवं शासन को प्रेषित की जाने वाली भौमिकीय जानकारी तैयार करना। समय-समय पर शासन/संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य तकनीकी एवं प्रशासकीय कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :**

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :

(1) भू-विज्ञान (जियोलॉजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलॉजी) में एम.टेक. उपाधि।

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.07.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

पदों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2-3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4-6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7-9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 पद और ऊपर के लिए	50 उम्मीदवारों तक या पदों की संख्या के 5 गुना

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट IV का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

उप सचिव

परिशिष्ट -II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय

श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-I (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट -III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/ दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे :-

1. **www.mponline.gov.in**
2. **mppsc.mp.gov.in**

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह आवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ड़) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुनः अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को सका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 16.06.2023 से 15.07.2023 (दोपहर 12:बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500/- तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250/- निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रोंमें भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	**रु. 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.07.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ---------- आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग हेतु** सहायक भौमिकीविद (Assistant Geologist) क्रमांक 09/2023 दिनांक 31.05.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं ----------पुत्र/पुत्री श्री---------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/----------जिला ----------,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ----------जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ----------

हस्ताक्षर----------

नाम----------

रोल नंबर----------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -I की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -I की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताएँ:-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

आर-48614/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 दिनांक 30.04.2023

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-2500/02/2023/अनु.-10 **इंदौर, दिनांक : 26/05/2023**

आयोग द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

01. विज्ञापन क्रमांक-09/2021/14.12.2021, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 23.01.2022।
    (1) शुद्धि पत्र क्रमांक-01/09/2021, दिनांक 24.01.2022 (ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में संशोधन)।
    (2) शुद्धि पत्र क्रमांक-02/09/2021, दिनांक 30.05.2022 (रोजगार पंजीयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आयु सीमा में छूट तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा पुन: प्रारंभ करने की सूचना)।
    (3) शुद्धि पत्र क्रमांक-03/09/2021, दिनांक 10.03.2023 (कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 के आयोजन की सूचना)।
02. उपरोक्त विज्ञापन के कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर एक सत्र में दिनांक 30.04.2023 को आयोजित की गई थी।
03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है : -

स. क्र.	कुल रिक्तियों की संख्या/विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	00	00	01	00	02
(ब)	महिलाओं हेतु आरक्षित पद	00	00	00	00	00	00

04. राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के ''पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022'' के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्र.-26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सेवा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।

    परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-

    1. सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुए उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्राविधिक भाग हेतु गणना कर पृथक-पृथक किया जाए। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए।
    2. उपरोक्त विभाजित 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
    3. उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्राविधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्ट लिस्टेड) प्राविधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्राविधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
    4. समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यत: मांग लिया जाए। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्राविधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
    5. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राविधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का वचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यत: प्राप्त किया जाए।
    6. साक्षात्कार के उपरांत माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए।
    7. तत्पश्चात मुख्य भाग (87) प्रतिशत का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाए।
    8. प्राविधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए तैयार कर दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाए। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाए।
    9. सभी लंबित लिखित परीक्षाओं/साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जाएं।
    10. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
    11. समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार दो भागों में है - (अ) मुख्य भाग (87 प्रतिशत) तथा (ब) प्राविधिक भाग (13 प्रतिशत)। साक्षात्कार हेतु **मुख्य भाग-अ** के लिए अनारक्षित श्रेणी में कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मुख्य भाग-अ के लिए अर्ह पाए गए कुल विज्ञापित पदों के 03 गुना+समान अंक प्राप्त कुल 03 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPUTER PROGRAMMER EXAM 2021 PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW

Sr. No.	Roll. No.	Sr. No.	Roll. No.	Sr. No.	Roll. No.
1.	100183	2.	100575	3.	100980

प्राविधिक भाग- ब

कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग का । पद विज्ञापित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रकरण विचाराधीन हैं। **सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित दिशा-निर्देश 29.09.2022 को लागू करने पर भी कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 परिणाम मुख्य भाग-अ तक ही सीमित रहेगा एवं प्राविधिक भाग-ब निरंक होगा।**

अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश :

परिशिष्ट प्रपत्र-01

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक - 09/2021 दिनांक 14.12.2021

पद/परीक्षा का नाम - कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021

अभ्यर्थी का नाम :- ..... आवेदन क्रमांक/अनुक्रमांक :- .....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक पृष्ठों की कुल संख्या
1.	व्यक्तिगत विवरण-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
2.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
3.	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
4.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
5.	स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
6.	शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
7.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (Debarred) नहीं होने संबंधी) - 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
9.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
10.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
11.	ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवेदक होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
12.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत/उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
13.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)। **(म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)। (छायाप्रति)**	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
14.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
15.	**मुख्य भाग-87 प्रतिशत एवं प्राविधिक भाग-13 प्रतिशत के संबंध में अभिवचन पत्र** - उपरोक्त अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
16.	अन्य कोई आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (शब्दों में)		

दिनांक : ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : .....

05. उपरोक्तानुसार परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक पृष्ठों की संख्या स्पष्टत: अंकित कर **दिनांक 10.06.2023** तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अत: अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णत: प्राविधिक हैं। यदि अभ्यर्थी कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
2. घोषित परिणाम में आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्रामाणिक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है बशर्ते कि उनके द्वारा शासन द्वारा पात्रता संबंधी आरक्षित वर्ग की किसी छूट का लाभ नहीं लिया हो।
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्राविधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की **वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. उपरोक्तानुसार जारी प्राविधिक लिखित परीक्षा परिणाम एवं अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. - 5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 10.06.2023 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर

लिफाफे पर **कम्प्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा-2021** के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-13687/48588/2023 **उप परीक्षा नियंत्रक**

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1420

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ईमेल -mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in
फोन - 0755-2553402 फैक्स-0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक- 542/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग भोपाल, दिनांक : 24.05.2023

निम्न कार्यों हेतु निविदा **वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 12.06.2023 को 17:30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2023_WRD_263722	मोहगांवटोला के अंतर्गत जलद्वारों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	5.38
2.	2023_WRD_263725	सिहोरा के अंतर्गत जलद्वारों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	3.50
3.	2023_WRD_264181	कुंडम के अंतर्गत जलद्वारों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.81
4.	2023_WRD_264186	थांवर बांध परियोजना अंतर्गत बिजेगांव रेडियल गेट्स की वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	4.58
5.	2023_WRD_264203	बिलगांव बांध के रेडियल गेट और जलद्वारों का मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	3.46
6.	2023_WRD_264205	पेंच डायवर्शन परियोजना बांध पर हाईड्रोलिक पावर पेक गेट 8 नं. का वार्षिक सर्विसिंग कार्य।	नरसिंहपुर	5.44
7.	2023_WRD_264206	लघु जलाशयों और नहरों के स्लूस/एच.आर. गेटों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.97
8.	2023_WRD_264210	छपारा, लखनादौन एवं घंसौर अंतर्गत जलाशयों के स्लूस गेटों का वार्षिक सुधार एवं मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	3.89
9.	2023_WRD_264211	बालाघाट के मध्यम तालाबों के जलद्वारों की मरम्मत का कार्य।	नरसिंहपुर	2.35
10	2023_WRD_264222	राजीव सागर परियोजना अंतर्गत 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	11.73
11.	2023_WRD_264236	छिंदवाड़ा के लघु तालाब का मानसून पूर्व मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	4.05
12.	2023_WRD_264237	गोटेगांव के लघु तालाब एवं जलद्वारों का वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	4.94
13.	2023_WRD_264252	थांवर बांध परियोजना के प्रत्येक स्थानीय पैनल के लिए निरीक्षण कक्ष एल.टी. पैनल और सर्विस केबल का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	9.92
14.	2023_WRD_264258	मटियारी बांध के रेडियल गेट का रख रखाव एवं मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.20
15.	2023_WRD_264260	मोहगांव के स्लूस एवं केनाल गेट व जलद्वारों का वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	2.89
16.	2023_WRD_264262	निवास के स्लूस एवं केनाल गेट एवं जलद्वारों का वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	3.01
17.	2023_WRD_264267	राजीव सागर परियोजना कुंडम के रेडियल गेट का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	13.06
18.	2023_WRD_264270	बिछिया उपसंभाग अंतर्गत टेंक गेट का मरम्मत एवं रख रखाव कार्य।	नरसिंहपुर	2.34
19.	2023_WRD_264273	संजय सरोवर परियोजना के आर.सी. गेट का वर्षा पूर्व मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	3.92
20.	2023_WRD_264275	लॉजी में मध्यम/लघु तालाबों और नहरों के स्लूस/एच.आर. गेटों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.08
21.	2023_WRD_273710	कांकड़ा स्टॉप डेम कम काजवे का विशेष मरम्मत कार्य।	अशोकनगर	18.50
22.	2023_WRD_273883	सिंहपुर चाल्दा तालाब का वार्षिक मरम्मत कार्य।	अशोकनगर	9.96
23.	2023_WRD_274759	देपालपुर तालाब की भूमिगत नहर की सफाई एवं वार्षिक मरम्मत कार्य।	इन्दौर	4.48
24.	2023_WRD_274872	सांवेर बाढ़ नियंत्रण योजना विशेष मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	इन्दौर	4.95
25.	2023_WRD_274875	मुख्य अभियंता कार्यालय स्थित विश्राम गृह का विशेष मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	इन्दौर	4.27
26.	2023_WRD_276102	बरनू जलाशय एवं मदई मध्यम परियोजना के स्लूस गेटों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	3.36
27.	2023_WRD_276103	पटपरा जलाशय की नहरों में गेट का स्थापन एवं सुधार कार्य।	नरसिंहपुर	1.34
28.	2023_WRD_276104	थांवर नहर पर स्थित एच.आर./सी.आर. एवं स्लूस गेटों का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	4.54
29.	2023_WRD_276105	उपसंभाग, शहपुरा के लघु मध्यम जलाशयों के स्लूस गेटों का सुधार कार्य।	नरसिंहपुर	3.09
30.	2023_WRD_276106	बालाघाट के अंतर्गत निर्मित मध्यम जलाशयों के स्लूस गेटों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.35
31.	2023_WRD_276107	पेंच डेम के अंतर्गत एल.बी.सी./आर.बी.सी. के स्लूस गेट का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	2.22
32.	2023_WRD_276108	बारासिवनी के लोअर/एच.आर. गेटों का मरम्मत कार्य।	नरसिंहपुर	3.49
33.	2023_WRD_276109	राजीव सागर परियोजना के एल.बी.सी. स्लूस गेट का अंडर वाटर कार्य।	नरसिंहपुर	1.78
34.	2023_WRD_276110	संजय सरोवर परियोजना के स्लूस गेट के इमरजेंसी गेट की रबर सील एवं प्रतिस्थापन कार्य।	नरसिंहपुर	3.65
35.	2023_WRD_276675	झारेगांव जलाशय का स्लूस एवं बेरल का साधारण मरम्मत कार्य	बैतूल	5.52
36.	2023_WRD_276677	माथनी जलाशय का साधारण मरम्मत कार्य।	बैतूल	2.29
37.	2023_WRD_276684	गोरेगांव जलाशय (नहर रहित) का सर्वेक्षण कार्य।	बैतूल	0.77
38.	2023_WRD_276685	पूर्णा जलाशय के सूटफाल का साधारण मरम्मत कार्य।	बैतूल	2.52
39.	2023_WRD_276731	दतुनी मध्यम परियोजना के 2 नग हेड स्लूस गेटों का सुधार एवं रख रखाव कार्य।	धार	7.13
40.	2023_WRD_276866	सेमरी मध्यम परियोजना, तुलसीपुर टेंक एवं केनाल का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य	भोपाल	1.36
41.	2023_WRD_276867	आशापुरी, चपलासिर, कलाझोरा, घाट पिपलिया, मुरादी चोपड़ी एवं पिपलिया गोली का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य	भोपाल	1.37
42.	2023_WRD_276870	उपसंभाग, सुल्तानपुर के अंतर्गत 14 नग माइनर टेंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	4.41
43.	2023_WRD_276871	अपर पलकमती व लोअर पलकमती के हेड स्लूस गेट्स एवं नहरों के सी.आर. व एस्केप गेट्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.28
44.	2023_WRD_276872	देहगांव, टेहरी उमरखोह बरखेड़ी, पडारिया माइनर टैंक्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.59
45.	2023_WRD_276873	दाहोद आर.बी.सी., एल.बी.सी., भीम बैठिका, बर्बतपुर, धमधूसर एवं रातापानी माइनर टैंक्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	1.41
46.	2023_WRD_276875	बोरपानी, मुडियाखेड़ी, बांसखेड़ी, पाती एवं झूलरपुर माइनर टैंक का वर्षा-पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.32
47.	2023_WRD_276876	कीरतपुर, रामपुरा, सजखेड़ा, मसूर बावड़ी एवं खमरिया चंदोरा माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	1.95
48.	2023_WRD_276880	देवरी के अंतर्गत मोगा, नगसिरी, कवलारी, उचाखेड़ा, कुकरा, बरहांडा, मानकपुर, सालार्बरू माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	3.02
49.	2023_WRD_276882	उपसंभाग, आष्टा के अंतर्गत 11 नग माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	3.66
50.	2023_WRD_276883	उपसंभाग, आष्टा के अंतर्गत 08 नग माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	1.30
51.	2023_WRD_276884	उपसंभाग, इछावर के अंतर्गत 16 नग माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	5.27
52.	2023_WRD_276886	उपसंभाग, इछावर के अंतर्गत 12 नग माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.96
53.	2023_WRD_276887	दोराहा, नसरुल्लागंज के माइनर टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	1.72
54.	2023_WRD_276889	नसरुल्लागंज जिला सीहोर के अंतर्गत घोघरा बांध, फंकी टैंक एवं आमलापानी टैंक का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	3.73
55.	2023_WRD_276890	कोलार बांध के होइस्ट असेंबली एवं डाउनस्ट्रीम पर प्रकाश व्यवस्था हेतु 2 कोर केबल के साथ इलेक्ट्रिकल पोल्स मय डबल साइडेड फ्लड लाइट्स उपलब्ध कराने एवं लगाने का कार्य।	भोपाल	2.73
56.	2023_WRD_276892	झोलियापुर बैराज, सीहोर पर इनडोर टाइप पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल उपलब्ध कराने एवं लगाने का कार्य।	भोपाल	0.93

(शेष अगले पृष्ठ पर)

हाथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश
माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर द्वितीय तल, शिवाजी नगर, भोपाल
विज्ञप्ति

सत्र 2023-24 में भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रथम व द्वितीय वर्ष (Under lateral entry System) में हाथकरघा संचालनालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये पुनः अंतिम तिथि **10.06.2023** निर्धारित की गई है। जिसमें भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के त्रिवर्षीय कोर्स के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष (Under lateral entry System) में प्रवेश हेतु शर्तें पूर्व की तरह यथावत रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत विवरण दिनांक 11 मई 2023 के दैनिक भास्कर डेली भोपाल, 15 मई 2023 के रोज़गार और निर्माण भोपाल, 11 मई 2023 के नई दुनिया डेली इन्दौर, 11 मई 2023 के दैनिक भास्कर डेली जबलपुर तथा 11 मई 2023 के दैनिक जागरण डेली रीवा के समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति को देखा जा सकता है। विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट **http://demosl56-01.rvsolutions.in/ernet/website-086-wp/DEP201/** पर उपलब्ध है।

जी-13811/48590/2023 **संयुक्त संचालक, हाथकरघा संचालनालय, भोपाल**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

57.	2023_WRD_276894	कोलार बांध, सीहोर के 33/0.433 के.वी. सब स्टेशन पर ए.बी. स्विच असेंबली सेट एवं 33 केवी लाइटनिंग अरेस्टर उपलब्ध कराने एवं लगाने का कार्य।	भोपाल	1.17
58.	2023_WRD_276896	बनेठा एल.आई.एम. जिला सीहोर पर 450 एम.एम. डिस्ट्रीब्यूटर पाइपलाइन के विभिन्न स्थानों पर लीकेज का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.46
59.	2023_WRD_276897	माननीय कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल के गृह कार्यालय में डेजर्ट एयर कूलर्स का सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	0.44
60.	2023_WRD_276900	झोलियापुर बैराज की लेफ्ट बैंक मेन कैनाल एवं राईट बैंक मेन कैनाल के गेटों का आइलिंग ग्रीसिंग एवं सुधार कार्य।	भोपाल	4.39
61.	2023_WRD_276902	छज्जू बरखेड़ा टैंक का सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	5.28
62.	2023_WRD_276903	अशोकनगर के माइनर टैंक के स्लूस गेट्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	5.99
63.	2023_WRD_276905	रामपुर बांध मध्यम परियोजना के 03 नग हेड स्लूस गेट्स एवं 01 नग फीडर चैनल गेट का सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	0.87
64.	2023_WRD_276907	बन्डिया नाला टैंक (मध्यम) के 02 नग हेड स्लूस गेट्स एवं 02 नग डायवर्सन स्लूस गेट्स का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	1.90
65.	2023_WRD_276908	उपसंभाग, गुना के अंतर्गत 29 नग माइनर टैंक्स के स्लूस का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.81
66.	2023_WRD_277139	रामपुरा केनाल के 44 नग कैनाल गेट्स का सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.50
67.	2023_WRD_277187	सौंधा जलाशय का सर्वेक्षण कार्य।	मंडला	1.03
68.	2023_WRD_277193	विक्रमपुर टैंक एवं फतेहाबाद टैंक में नवीन स्लूम गेट लगाने का कार्य।	भोपाल	0.83
69.	2023_WRD_277196	कलियासोत वेस्ट वियर रेडियम गेट के ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक पेनल्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	2.86
70.	2023_WRD_277198	कलियासोत वेस्ट वियर 13 नग रेडियल गेट्स एवं 04 नग हेड स्लूस गेट्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	2.23
71.	2023_WRD_277202	केरवा बांध, भोपाल के लेफ्ट फ्लेंक पर आर.डी. 120 मी. के हेड स्लूस गेट एवं लेफ्ट फ्लेंक के पिक-उप वियर गेट का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	6.92
72.	2023_WRD_277205	बनेठा एल.आई.एस. जिला सीहोर पर राइजिंग मेन पाइपलाइन में जैकवेल से डिस्ट्रीब्यूटर चैम्बर एवं जैकवेल के फुटब्रिज के विभिन्न स्थानों पर लीकेज का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	2.49
73.	2023_WRD_277207	बांकपुर बांध पर आई-टाइप क्वार्टर हेतु जी.आई. वायर फेंसिंग उपलब्ध कराने का कार्य।	भोपाल	2.18
74.	2023_WRD_277210	बांकपुर बांध पर 02 नग आई-टाइप क्वार्टर का आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य।	भोपाल	3.88
75.	2023_WRD_277213	सतपाड़ा एल.आई.एस. जिला विदिशा पर 75 सच.पी. वी.टी. पंप की पाइपलाइन लीकेज का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	2.41
76.	2023_WRD_277293	तवा बायीं तट मुख्य नहर के अंतर्गत चैन क्र. 3008 से 3698 के मध्य विभिन्न स्थानों में क्षतिग्रस्त नहर का विशेष मरम्मत कार्य।	हरदा	4.92
77.	2023_WRD_277294	तवा बायीं तट मुख्य नहर के अंतर्गत चैन क्र. 3698 से 4082 के गध्य विभिन्न स्थानों में क्षतिग्रस्त नहर का विशेष मरम्मत कार्य।	हरदा	4.83
78.	2023_WRD_277383	मक्रोदा टैंक के 02 नग गेट्स का वर्षा पूर्व सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	0.71
			कुल योग	**286.85**

जी-13823/48591/2023 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 08/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 19.05.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :-

क्र.	टेंडर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु
1.	2023_PWDRB_277816_1	जबलपुर	पुल कार्य	जबलपुर जिले में जबलपुर मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1004/2-3 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-323 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	3844.79	केवल ऑन-लाइन
2.	2023_PWDRB_277817_1	नरसिंहपुर	पुल कार्य	नरसिंहपुर जिले अंतर्गत इटारसी जबलपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 871/7-8 में स्थित लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-262 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	3744.70	केवल ऑन-लाइन
3.	2023_PWDRB_277819_1	जबलपुर	पुल कार्य	जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1017/1-2 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-330 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	3189.02	केवल ऑन-लाइन
4.	2023_PWDRB_277821_1	जबलपुर	पुल कार्य	जबलपुर जिले अंतर्गत जबलपुर मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1010/6-7 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-327 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	3182.68	केवल ऑन-लाइन
5.	2023_PWDRB_277822_1	कटनी	पुल कार्य	कटनी जिले के अंतर्गत इटारसी मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1047/9-10 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-342 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य।	प्रथम	3018.64	केवल ऑन-लाइन
6.	2023_PWDRB_277823_1	कटनी	पुल कार्य	कटनी जिले के बीना कटनी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1210/0-1 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-102 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	2986.17	केवल ऑन-लाइन
7.	2023_PWDRB_277824_1	जबलपुर	पुल कार्य	जबलपुर जिले अंतर्गत इटारसी मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 954/0-1 में स्थित लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-299 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	2816.69	केवल ऑन-लाइन
8.	2023_PWDRB_277826_1	नरसिंहपुर	पुल कार्य	नरसिंहपुर जिले अंतर्गत इटारसी जबलपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 847/6-7 में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-251 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।	प्रथम	2725.36	केवल ऑन-लाइन
				कुल योग		**25508.05**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 09.06.2023 (17:30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-13650/48587/2023 **लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग
साउथ सिविल लाइन जबलपुर

एनआईटी नं.- 03/2023/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/2023 **दिनांक : 01.06.2023**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है : -

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (1) सिवनी जिले के अंतर्गत घोघरातोला से मंगलटोला के बीच हिरीं नदी पर पहुंचमार्ग सहित उच्च जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज)
2023_ PWDRB_ 279103_1	सिवनी	पुल कार्य	प्रथम	Rs. 283.95 Lacs	समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा किये जावेंगे

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (2) सिवनी जिले के अंतर्गत अतरी-खामी मार्ग के कि.मी. 2/4 में हिरीं नदी पर पहुंचमार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य।

2023_ PWDRB_ 279116_1	सिवनी	पुल कार्य	प्रथम	Rs. 322.69 Lacs	समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा किये जावेंगे

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (3) सिवनी जिले के अंतर्गत खापा से खैरी मार्ग में बैनगंगा नदी पर पहुंचमार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य।

2023_ PWDRB_ 279129_1	सिवनी	पुल कार्य	प्रथम	Rs. 361.61 Lacs	समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा किये जावेंगे

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (4) मण्डला जिले के साल्हेहण्डा निचली मार्ग में बिटिघार नाला में पहुंचमार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य।

2023_ PWDRB_ 279074_1	मण्डला	पुल कार्य	द्वितीय	Rs. 418.77 Lacs	समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा किये जावेंगे

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 15.06.2023** शाम 18.00 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-13885/48594/2023 **लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, जबलपुर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 07/वर्ष 2023-24/कार्य.यं. **नरसिंहपुर, दिनांक : 29.05.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्रमांक एवं कार्य का नाम : 1. नरसिंहपुर उपसंभाग के अंतर्गत बरमान चौराहा से इमलिया (करेली, इमलिया, बासादेही,) सी.सी. मार्ग लंबाई 1.50 कि.मी., निर्माण कार्य। (तृतीय आमंत्रण)

क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	धरोहर राशि	निविदा फार्म की राशि	आमंत्रण क्र.	कार्य समयावधि	भौतिक रूप से लिफाफा प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी. आर. एवं अन्य दस्तावेज)
1	2023_ PWDRB_ 279868_1	नरसिंहपुर	निर्माण	234.25	2,34,500/-	15,000/-	तृतीय आमंत्रण	08 माह वर्षाऋतु सहित	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

क्रमांक एवं कार्य का नाम : 2. नरसिंहपुर उपसंभाग के अंतर्गत उमरिया से पिपरहा मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. का बी.टी. रिन्यूवल कार्य। (तृतीय आमंत्रण)

	2023_ PWDRB_ 272174_1	नरसिंहपुर	बी.टी. रिन्युवल	37.92	50,000/-	5,000/-	तृतीय आमंत्रण	03 माह वर्षाऋतु रहित	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
	योग			272.17					

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 05.06.2023 (17.00) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
मूल धरोहर (ई.एम.डी.) राशि एवं अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत दिनांक 05.06.2023, (17.30) बजे तक उपरोक्तानुसार संबंधित पोर्टल में प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-13857/48593/2023 **लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर**

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 1, भदभदा रोड, भोपाल
क्र./518/तज्ञा/प.यं./2023 **दिनांक : 31.05.2023**

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर नवीन थाना भवन हवीबगंज का निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2023_MPPHC_280571_1 **दिनांक 14.06.2023, समय अपरान्ह 17:00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/110195/2023 R-48618/2023 **परियोजना यंत्री**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भोपाल

लिंक रोड नं. - 02, माता मंदिर चौराहा के समीप, हर्षवर्द्धन नगर के सामने, भोपाल
Tel. : (0755) 2924467, E-mail : eephbpl@mp.nic.in

क्र. 1493/तक./का.यं./लो.स्वा.यां. खंड/भोपाल/2023-24 **दिनांक : 24.05.2023**

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाओं में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

सिस्टम जनरेट आई.डी. क्र.	खण्ड	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि रु.	ठेके की अनु. राशि रु.	अमानत राशि रु.	निविदा ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्रमांक
2023_ PHED_ 278485_1	भोपाल	Hydrofracturing of 50 NOS Tube-well and other allied work in various villages of block- Phanda in District Bhopal	2000/-	865000/-	17300/-	05.06.23	(1) 08 माह वर्षाकाल छोड़कर (2) लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पद्धति से पंजीयन अनिवार्य। (3) प्रथम आमंत्रण
2023_ PHED_ 278504_1	भोपाल	Hydrofracturing of 50 NOS Tube-well and other allied work in various villages of block- Berasia in District Bhopal	2000/-	865000/-	17300/-	05.06.23	(1) 08 माह वर्षाकाल छोड़कर (2) लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पद्धति से पंजीयन अनिवार्य। (3) प्रथम आमंत्रण

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-13856/48592/2023 **लो. स्वा. यां. खण्ड, भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (वि./यां) संभाग सागर

फोन नं. : 07582-221289, ई-मेल आई.डी. : eepwdenmsag@mp.gov.in

एन.आई.टी. नं. 10/2023-24/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण **सागर, दिनांक : 29.05.2023**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता परीक्षा वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है।

क्र.	पोर्टल टेंडर नं.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (वर्षाकाल सहित)
1.	2023_ PWDRB_ 279915_1	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत हेडक्वॉर्टर सेक्शन टीकमगढ़ के गैरआवासीय भवनों में ए.आर., एस.आर., एम.ओ.डब्ल्यू., डिपॉजिट मद के विद्युतीकरण के जोनल कार्य।	टीकमगढ़	2000000/-	40000/-	2000/-	31.03.2024 तक वर्षाकाल सहित
1.	2023_ PWDRB_ 279922_1	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत निवाड़ी एवं पलेरा सेक्शन में गैरआवासीय भवनों एवं रेस्ट हाउस/सर्किट हाउस में ए.आर., एस.आर., एम.ओ.डब्ल्यू., डिपॉजिट मद के विद्युतीकरण के जोनल कार्य।	टीकमगढ़	2000000/-	40000/-	2000/-	31.03.2024 तक वर्षाकाल सहित
1.	2023_ PWDRB_ 279931_1	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत लिधौरा, बल्देवगढ़ एवं जतारा सेक्शन में आवासीय, गैरआवासीय भवनों एवं रेस्ट हाउस में ए.आर., एस.आर., एम.ओ.डब्ल्यू., डिपॉजिट मद के विद्युतीकरण के जोनल कार्य।	टीकमगढ़	2000000/-	40000/-	2000/-	31.03.2024 तक वर्षाकाल सहित
1.	2023_ PWDRB_ 279935_1	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण के जोनल कार्य।	टीकमगढ़	2000000/-	40000/-	2000/-	31.03.2024 तक वर्षाकाल सहित
		कुल		8000000/-	160000/-	8000/-	

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रत्र खरीदा जा सकेगा।
   निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 30.05.2023 समय सुबह 10.30 बजे से दिनांक 13.06.2023 समय 05:30 सायं तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-13986/48613/2023 **लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग सागर**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021

परीक्षा दिनांक 25.09.2020 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-2749/36/2022/अनु.-10 **इंदौर, दिनांक : 01/06/2023**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:--

01. विज्ञापन क्रमांक-18/2021/30.12.2021, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.03.2022 1
   (1) विज्ञापन क्रमांक-01/12-13-18/2021 दिनांक 04.01.2022 (शैक्षणिक अर्हता के संबंध में)।
   (2) शुद्धि पत्र क्रमांक-01/12-13-17-18/2021 दिनांक 27.01.2022 (आयु सीमा के संबंध में)।
   (3) सूचना क्रमांक-01/12-13-18/2021 दिनांक 10.02.2022 (दस्तावेज प्रेषित किए जाने के संबंध में)।
   (4) शुद्धि पत्र क्रमांक- 02/12/2021 दिनांक 24.05.2022 (रोजगार पंजीयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आयु सीमा में छूट तथा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना ।)।
   (5) शुद्धि पत्र क्रमांक-03/12-13-18/2021 दिनांक 08.08.2022 (परीक्षा आयोजन की सूचना के संबंध में)।
   (6) सूचना क्रमांक-02/12-13-18/2021 दिनांक 02.09.2022 (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र की उपलब्धता के संबंध में)।
   (7) शुद्धि पत्र क्रमांक- 04/12-13-18/2021 दिनांक 30.05.2023 (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण संबंधी)।
   (8) संशोधित शुद्धि पत्र क्रमांक-04/12-13-18/2021 दिनांक 31.05.2023 (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण संबंधी)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 जिला मुख्यालय इंदौर एवं भोपाल के केन्द्रों पर दिनांक 25.09.2022 (रविवार) को एक सत्र में दोपहर 12:00 से 03:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

पद का नाम :- यूनानी चिकित्सा अधिकारी
विभाग का नाम :- आयुष विभाग

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					कुल रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	कुल
09	04	06	07	02	03	01	02	02	01	00	01	01	00	28

04. राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के ''पत्र क्रमांक- एफ 07-46/2021 /आ.प्र./ एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022'' के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्र.-26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2019 का संशोधित पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया एवं परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-

1. सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुए उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक-पृथक किया जाए। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए।
2. उपरोक्त विधिवत 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
3. उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
4. समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यतः मांग लिया जाए। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
5. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का वचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।
6. साक्षात्कार के उपरांत माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए।
7. तत्पश्चात् मुख्य भाग (87) प्रतिशत का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाए।
8. प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए तैयार कर दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाए। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाएं।
9. सभी लंबित लिखित परीक्षाओं/साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जाएं।
10. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
11. समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-1/2018/1/59 दिनांक 03.11.2022 के अनुसार यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु) पुनरीक्षित पदों का विवरण प्राप्त हुआ है जिसे आयोग द्वारा संशोधित शुद्धि पत्र क्रमांक-04/12-13-18/2021 दिनांक 31.05.2023 द्वारा प्रकाशित किया गया है। तद्नुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद-7 हैं जिसका मुख्य भाग में 14 प्रतिशत के मान से कुल पद- 4 तथा प्रावधिक भाग में 13 प्रतिशत के मान से कुल पद-3 प्राप्त हुए हैं।

यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 में **मुख्य भाग अ** के लिए कुल विज्ञापित पदों के 03 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल 25 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
UNANI MEDICAL OFFICER EXAM 2021 PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW

Sr. No.	Roll. No.	Sr. No.	Roll. No.	Sr. No.	Roll. No.
1.	100044	10.	100341	19.	100472
2.	100063	11.	100346	20.	100481
3.	100111	12.	100372	21.	100490
4.	100157	13.	100387	22.	100493
5.	100197	14.	100421	23.	100497
6.	100205	15.	100434	24.	100525
7.	100222	16.	100440	25.	100555
8.	100317	17.	100443		
9.	100320	18.	100465		

यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 में **प्रावधिक भाग-ब** के लिए विज्ञापित पदों के 03 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया है। अतः उक्त परीक्षा का प्रावधिक भाग-ब निरंक है।
अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश :

परिशिष्ट प्रपत्र-01

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक - 18/2021 दिनांक 30.12.2021

पद/परीक्षा का नाम - यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021

अभ्यर्थी का नाम :- ..... आवेदन क्रमांक/अनुक्रमांक :- .....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक पृष्ठों की कुल संख्या
1.	व्यक्तिगत विवरण-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
2.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
3.	हाई स्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
4.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
5.	स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
6.	शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
7.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (Debarred) नहीं होने संबंधी) - 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
9.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
10.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
11.	ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवेदक होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू. एस. का वैध प्रमाण पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
12.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत/उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
13.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)। **(म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)। (छायाप्रति)**	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
14.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
15.	दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की प्रति।		संलग्नक.....
16.	विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
17.	**मुख्य भाग-87 प्रतिशत एवं प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत के संबंध में अभिवचन पत्र** - उपरोक्त अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
18.	अन्य कोई आवश्यक दस्तावेजों की जाणप्रतियां जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक	संलग्नक.....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

दिनांक : ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : .....

05. उपरोक्तानुसार परिशिष्ट प्रपत्र-01। अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर **दिनांक 20.06.2023** तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. महिला आरक्षण में आरक्षित वर्ग की वे महिला अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक है उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
4. यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
7. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की **वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम एवं अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. - 5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई भी तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 20.06.2023** तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर

लिफाफे पर **यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021** के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-14067/48617/2023 **उप परीक्षा नियंत्रक**

सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थी का साक्षात्कार

परिश्रम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी - प्रेक्षा अग्रवाल

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रेक्षा अग्रवाल ने 30वीं रैंक हासिल की है। एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली प्रेक्षा अग्रवाल मूलत: उत्तरप्रदेश के बरेली से हैं। प्रेक्षा ने हार्टमैन कॉलेज, बरेली से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। अथक मेहनत और लगन से तैयारी करते हुए इस मुकाम पर पहुंचने वाली प्रेक्षा ने "रोज़गार और निर्माण" के लिये अपना कीमती समय निकालते हुए कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। प्रस्तुत हैं उनके साक्षात्कार के प्रमुख अंश।

आपने इस क्षेत्र में जाने का मन कब और क्यों बनाया?

जब कक्षा 10वीं में मैंने अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब रिश्तेदार और पड़ोसी मुझसे यह कहने लगे थे कि IAS बनना, लेकिन उस समय मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया था, जब मैं स्नातक चतुर्थ वर्ष में थी तब इस बारे में मैंने विचार किया। उस दौरान मेरे सहपाठी गेट (Gate), कैट (Cat), प्लेसमेंट इत्यादि की तैयारी करने में लगे थे। मैंने इस सभी विकल्पों के बारे में शोध किया परन्तु इनमें से किसी में भी आगे बढ़ने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं रोटरी क्लब तथा एनसीसी (NCC) से जुड़ी थी, वहीं से मेरे अंदर देश सेवा एवं समाजसेवा की नींव पड़ी। चूंकि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की हूं इसलिए मुझे पता था कि जनरल अवेयरनेस का मेरा पक्ष काफी मजबूत है। सिविल सेवा के विषयों का अध्ययन कर मैं इस परीक्षा की तैयारी में जुट गई।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रेरणा और सफल होने के लिए सहयोग किनसे मिला?

मेरे पूरे परिवार से मुझे सहयोग मिला। मेरी माताजी कर्मठ महिला हैं तथा पिताजी सच्चाई के पथ पर चलने में विश्वास रखते हैं। इनके अलावा मेरे ताऊजी-ताईजी, चाचाजी-चाचीजी, मामाजी समेत अन्य लोगों से बहुत सहयोग मिला। मेरे स्कूल के शिक्षक मुझे पॉजिटिव तरीके से प्रेरित (मॉटिवेट) करते थे। मेरे कॉलेज के मित्रों ने भी मेरी काफी सहायता की है।

आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है?

मेरे पिताजी BSNL से सब-डिविजनल इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा माताजी LIC में हायर ग्रेड असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। छोटी बहन बेंगलुरु में गोल्डमैन सैच (Goldman Sach) नामक मल्टी नेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं।

आपकी पढ़ाई से संबंधित संघर्ष की ऐसी बातें जो आप हमसे साझा करना चाहती हों?

सौभाग्यवश मुझे किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हां, परीक्षा उत्तीर्ण करने में 5 वर्ष अवश्य लग गए। दिल्ली में एक वर्ष कोचिंग की थी, उस समय मुझे खराब खाने और प्रदूषित वायु के कारण पेट की समस्या तथा खांसी हो गई थी। बार-बार परीक्षा देते हुए मानसिक तनाव होता था, जिससे मुझे और मेरे परिवार, दोनों को जूझना पड़ा था।

किसी भी परीक्षा में उम्र क्या मायने रखती है?

उम्र का महत्व मात्र उतना ही है जितना कि उस परीक्षा के निर्देशों में दिया गया है। अर्थात् अगर परीक्षा में आयु सीमा 30 वर्ष है तो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपको किसी भी चीज को याद रखने में या सवाल हल करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मेरा मानना है कि उम्र का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर सफलता हासिल की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।

इस परीक्षा के लिये आपने कौन से विषय चुने थे?

इसमें जनरल स्टडी सभी के लिए कॉमन रहता है। ऑप्शनल में मैंने जियोग्राफी (भूगोल) विषय का चयन किया था।

आपने इस परीक्षा में सफल होने के लिए किन-किन विषयों की किन-किन पुस्तकों का अध्ययन किया?

मैंने कई विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनमें से कुछ नाम ये हैं: सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरनमेंट जियोग्राफी। आर.डी. दीक्षित और सुदीप्ता समेत अन्य लोगों से बहुत सहयोग मिला। मेरे स्कूल के शिक्षक मुझे पॉजिटिव तरीके से प्रेरित (मॉटिवेट) करते थे। मेरे कॉलेज के मित्रों ने भी मेरी काफी सहायता की है।

आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है?

मेरे पिताजी BSNL से सब-डिविजनल इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा माताजी LIC में हायर ग्रेड असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। छोटी बहन बेंगलुरु में गोल्डमैन सैच (Goldman Sach) नामक मल्टी नेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं।

आपकी पढ़ाई से संबंधित संघर्ष की ऐसी बातें जो आप हमसे साझा करना चाहती हों?

सौभाग्यवश मुझे किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हां, परीक्षा उत्तीर्ण करने में 5 वर्ष अवश्य लग गए। दिल्ली में एक वर्ष कोचिंग की थी, उस समय मुझे खराब खाने और प्रदूषित वायु के कारण पेट की समस्या तथा खांसी हो गई थी। बार-बार परीक्षा देते हुए मानसिक तनाव होता था, जिससे मुझे और मेरे परिवार, दोनों को जूझना पड़ा था।

किसी भी परीक्षा में उम्र क्या मायने रखती है?

उम्र का महत्व मात्र उतना ही है जितना कि उस परीक्षा के निर्देशों में दिया गया है। अर्थात् अगर परीक्षा में आयु सीमा 30 वर्ष है तो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपको किसी भी चीज को याद रखने में या सवाल हल करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मेरा मानना है कि उम्र का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर सफलता हासिल की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।

इस परीक्षा के लिये आपने कौन से विषय चुने थे?

इसमें जनरल स्टडी सभी के लिए कॉमन रहता है। ऑप्शनल में मैंने जियोग्राफी (भूगोल) विषय का चयन किया था।

आपने इस परीक्षा में सफल होने के लिए किन-किन विषयों की किन-किन पुस्तकों का अध्ययन किया?

मैंने कई विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनमें से कुछ नाम ये हैं: सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरनमेंट जियोग्राफी। आर.डी. दीक्षित और सुदीप्ता अधिकारी की जियोग्राफिकल थॉट, माजिद हुसैन और खुल्लर की इंडियन जियोग्राफी समेत कई अलग-अलग लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकों का अध्ययन किया। इसके अलावा समाचार पत्र, करेंट अफेयर्स के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों को भी पक्ष और दुर्बल पक्ष पर ध्यान दिया। कोचिंग के दौरान अध्यापकों को ध्यान से सुना। मेरा मानना है कि किसी भी युद्ध में घुसने से पहले युद्ध के नियमों को भली-भांति जान लेना चाहिए।

नोट्स कहां से और कैसे तैयार किये?

टीचर्स के लेक्चर्स से, विभिन्न पाठ्यपुस्तकों से, मासिक सम-सामयिकी और अखबारों से नोट्स बनाए। किसी भी लेखन को 5 से 10 गुना कम शब्दों में लिखने का अभ्यास किया उदाहरण के लिए अगर 15 पन्नों का व्याख्यान है तो उसे 1.5 पन्नों में लिखा जाना चाहिए। डायग्राफ, मैप्स, ग्राफ आदि को अपने नोट्स में अवश्य शामिल करते हुए चलें। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको दोबारा पुस्तक ना खोलनी पड़े।

कम समय में अधिक से अधिक विषयों की तैयारी कैसे की?

समय सबको बराबर मिलता है। नियमानुसार जीवन व्यतीत करें। मैंने चौथी बार में 30वीं रैंक प्राप्त की है यानी 5 वर्षों की पढ़ाई के बाद यह परिणाम आया है। शॉर्टकट से बचें।

किन विषयों को ज्यादा समय और महत्व दिया?

फाइनल इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के सदस्यों द्वारा आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे?

- आपने ऑप्शनल विषय के तौर पर जियोग्राफी का चयन किया है। यह मल्टी-डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है तो क्या जियोग्राफी का प्रभाव सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी पर पड़ता है या इसका विपरीत होता है?
- इंटर स्टेट नदियों की वजह से राज्यों के बीच टकराव क्यों है?
- बरेली शहर टेक्सटाइल के लिए क्यों प्रसिद्ध है?
- भारत के लिए कारागोरम, सियाचिन क्यों जरूरी है?
- एलन मस्क होशियार है या सरफिरा?
- आपको किताबें पढ़ना पसन्द है, आपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी है?
- टैक्सेशन लॉ में बदलाव क्या सिर्फ कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट (संविधान संशोधन) ही ला सकते हैं?

आपकी इस सफलता का राज क्या है?

परिश्रम करते रहो। गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे। चींटी को देखो और चलते चलो।

पढ़ाई के लिए आपने दिनचर्या में क्या-क्या बदलाव किए?

कॉलेज के दौरान देर से सोने की आदत थी। सिविल परीक्षा के लिए इस आदत में बदलाव कर सुबह-सुबह उठकर नहा-धोकर पढ़ना शुरू किया। दिनचर्या में कुछ समय शारीरिक व्यायाम तथा मेडिटेशन को भी दिया।

परीक्षा की रणनीति कैसे तैयार की?

विगत वर्षों में पूछे गए सवालों को देखा, यूपीएससी के ऑफिसियल सिलेबस को देखा, अपने सबल और दुर्बल पक्ष पर ध्यान दिया। कोचिंग के दौरान अध्यापकों को ध्यान से सुना। मेरा मानना है कि किसी भी युद्ध में घुसने से पहले युद्ध के नियमों को भली-भांति जान लेना चाहिए।

नोट्स कहां से और कैसे तैयार किये?

टीचर्स के लेक्चर्स से, विभिन्न पाठ्यपुस्तकों से, मासिक सम-सामयिकी और अखबारों से नोट्स बनाए। किसी भी लेखन को 5 से 10 गुना कम शब्दों में लिखने का अभ्यास किया उदाहरण के लिए अगर 15 पन्नों का व्याख्यान है तो उसे 1.5 पन्नों में लिखा जाना चाहिए। डायग्राफ, मैप्स, ग्राफ आदि को अपने नोट्स में अवश्य शामिल करते हुए चलें। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको दोबारा पुस्तक ना खोलनी पड़े।

कम समय में अधिक से अधिक विषयों की तैयारी कैसे की?

समय सबको बराबर मिलता है। नियमानुसार जीवन व्यतीत करें। मैंने चौथी बार में 30वीं रैंक प्राप्त की है यानी 5 वर्षों की पढ़ाई के बाद यह परिणाम आया है। शॉर्टकट से बचें।

किन विषयों को ज्यादा समय और महत्व दिया?

हर व्यक्ति की अलग-अलग कमजोरी होती है। किसी को इकोनॉमिक्स कठिन लगता है, तो किसी को साइंस। मैंने इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी को अधिक समय दिया।

अक्सर भूल जाने वाले तथ्यों और भ्रम पैदा करने वाली जानकारियों को कैसे याद रखा?

बार-बार लिख-लिखकर, जोर-जोर से बोलकर।

परीक्षा की तैयारी करने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? आप टेक्नोलॉजी पर कितनी निर्भर थीं?

मुश्किल विषय समझने के लिए या किसी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए यूट्यूब वीडियो की मदद ली। परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों के लिए टेलीग्राम ग्रुप को देख लेती थी। मनोरंजन के लिए मोबाइल पर गाने सुनती थी। इसके अलावा whatsapp, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलाया।

परीक्षा देते समय टाइम मैनेजमेंट (समय प्रबंधन) कैसे किया?

अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते हुए समझ में आ जाता है कि किस पेपर में कौन से सवाल को कितना समय देना है। कभी 15 अंक के प्रश्न पहले करती हूं, कभी 5 सवाल 10 अंकों के, फिर 5 सवाल 15 अंक वाले। हर व्यक्ति का अपना-अपना अलग पैटर्न होता है, अभ्यास करते हुए ही आपको भी पता चलता होगा कि आप कैसे समय प्रबंधन कर सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विवरणात्मक प्रश्नों को हल करने के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। सभी प्रश्न हल नहीं करने होते हैं, ऐसे में सही से विकल्पों का चयन करें। विवरणात्मक प्रश्नों की बात करें तो एनालिटीकल माइंडसेट विकसित करें विभिन्न एंगल प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर एग्रीकल्चर का प्रश्न है तो उसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी और सोसायटी से लिंक करते हुए उत्तर दीजिए।

इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? क्या योजना बनाई?

मेन्स के बाद जो डीएएफ (Detailed Application Form) भरवाया जाता है उसके एक-एक शब्द पर सवाल तैयार करके स्वयं से वे सवाल पूछिए और उनके उत्तर को लिखिए। अपने मित्र या परिवारजन के साथ बैठकर प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास कीजिए। इंटरव्यू ज्ञान का खेल नहीं है, पैनल मात्र यह देखना चाहता है कि आप सोचते कैसे हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हैं, यह कहां तक उचित है?

हिंदी मीडियम के छात्रों को हिंदी को ही अपनी ताकत मानना चाहिए। हां, ये बात तो है कि उनके लिए मटेरियल की कमी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मेरा मानना है कि पहाड़ जितना बड़ा होगा, उसको फतह करने में सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। 2021 के सिविल सर्विस एग्जाम में चयनित होने वाले रवि सिहाग से प्रेरणा ले सकते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए रवि एक बड़ी मिसाल हैं।

ग्रामीण परिवेश वाले परीक्षार्थियों को इन परीक्षाओं में कैसी मुश्किलें आती हैं?

ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों की मुश्किलों की बात करूं तो उनके बीच मटेरियल्स की कमी रहती है, ऐसे टीचर्स नहीं मिलते जो सही ढंग से गाइड कर सकें, इन विद्यार्थियों के पास विस्तृत जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इनके लिए यूट्यूब बहुत कारगर हो सकती है, वीडियो लेक्चर सुनकर ये स्टूडेंट्स अपने नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से बाहर के लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आधी-अधूरी जानकारी से बच कर रहें, किसी के भी झांसे में ना आएं, अपनी सोच को विस्तृत करने की कोशिश करें।

जिस पद पर आपका चयन हुआ है, उस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके क्या विचार हैं?

मेरा चयन IAS में हुआ है। यह अत्यन्त ही जिम्मेदारी वाला पद है। अपने क्षेत्र/तहसील/जिले की विभिन्न समस्याओं का निवारण करने से लेकर नागरिकों से बातचीत करूंगी। कुछ वर्ष पश्चात मंत्रालय में हमें नीतियां भी बनानी होंगी, ऐसे में जमीनी स्तर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब अलग-अलग वर्ग की मांगें भिन्न-भिन्न रहती हैं तब उसमें सामंजस्य स्थापित करना होता है।

जो परीक्षार्थी असफल हो जाते हैं उनको असफलता से उबरने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? यदि आप कभी असफल हुई हैं तो उससे कैसे बाहर निकली?

किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने मस्तिष्क में यह स्थापित कर लें कि आप फलां कार्य 'क्यों' करना चाहते हैं। कार्य 'कैसे' करना है, इसका उत्तर देने के लिए बहुत लोग होते हैं लेकिन कार्य "क्यों" करना है, इसका उत्तर केवल और केवल आपके ही पास है। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है, मैं जब भी असफल होती थी, 2-4 दिन तो खूब रोती थी, लेकिन पुनः दृढ़ता के साथ उठ जाती थी। मेरे मन में एक ही विचार था कि जब IAS बनना है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं करो या मरो के सिद्धांत पर काम करती हूं।

इस साक्षात्कार के माध्यम से आप 'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

मैं स्वामी विवेकानंद जी का यह संदेश देना चाहूंगी कि 'सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं।' इसके साथ ही उनका ही एक और संदेश देना चाहूंगी 'उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।'

इससे पहले यदि आप इस परीक्षा में शामिल हुई थीं तो तब आपकी रैंक कौन सी थी? उसमें कमी कहां रह गई? सुधार करने के लिये आपने दोबारा किस पहलू पर जोर दिया?

2021 में मेरी 303वीं रैंक थी, इंटरव्यू में नम्बर बहुत कम रह गए थे। इस बार मैंने एक महीने तक अपने दोस्तों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की और स्वयं को कॉन्फिडेंट बनाया।

(साक्षात्कारकर्ता - विक्रम सिंह)

डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदम

'वन नेशन वन एप्लिकेशन' पर एकीकृत हो रहीं देश की विधानसभाएं

'वन नेशन वन एप्लिकेशन' पर देश की सभी विधानसभाओं को जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस दिशा में हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को NeVA प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को शामिल करना रहा।

डिजिटल इंडिया को मिल रही मजबूती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार डिजिटल इंडिया का अर्थ है सभी के लिए अवसर, सभी के लिए सुविधा, सभी की भागीदारी। डिजिटल इंडिया का अर्थ सरकार की प्रणाली तक हर किसी की पहुंच है। डिजिटल इंडिया का अर्थ पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर हमला है। डिजिटल इंडिया का अर्थ समय, श्रम और धन की बचत करना है। डिजिटल इंडिया का मतलब तेज लाभ, पूरा लाभ होता है। डिजिटल इंडिया का अर्थ न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए डिजिटल भविष्य की कल्पना करते हुए कहा था कि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब सभी इसके प्रति कर्तव्य की मानसिकता के साथ मिलकर काम करें। कर्तव्य की भावना को आगे बढ़ाने के लिए ही NeVA को विकसित किया गया है। NeVA एक एकीकृत और आपस में जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पोर्टल है जो 'वन नेशन, वन एप्लिकेशन' को प्रदर्शित करता है। भविष्य में इससे न केवल विधायक, बल्कि सभी लोगों को लाभ होगा।

NeVA राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाकर सभी 37 विधानसभाओं को 'वन नेशन वन एप्लिकेशन' पर एकीकृत करने का कार्य कर रहा है। यह राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। NeVA के माध्यम से राज्यों में ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिल रही है।

कुशल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के कामकाज से जनता को सेवा का प्रभावी वितरण होता है और NeVA बेहतर सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। भारत की तकनीकी प्रगति जिसमें यूपीआई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, कोविन एप, वन नेशन वन राशन कार्ड, डिजिटल कॉमर्स इत्यादि शामिल हैं उनके लिए ओपन नेटवर्क, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस इत्यादि की आज पूरी दुनिया सराहना कर रही है। यह लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। ऐसे में NeVA भी इसी दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम साबित होने वाला है।

NeVA क्या है?

NeVA एनआईसी क्लाउड, मेघराज पर तैनात एक कार्य-प्रवाह प्रणाली (वर्क फ्लो सिस्टम) है, जो सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सदन के अध्यक्ष की मदद करती है। यह कार्य-प्रवाह प्रणाली पेपरलेस तरीके से सदन में सदस्यों की अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने और सदन के विधायी कार्य का संचालन करने में मदद करती है। NeVA एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो सदस्यों के संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियमों, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, कागजात के बारे में पूरी जानकारी डालकर विविध

कार्य को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार करती है। इस एप्लिकेशन की मदद से समिति की रिपोर्ट इत्यादि टैबलेट में रखी जाती है जो सभी विधानमंडलों/विभागों को इसे कुशलतापूर्वक और सुरक्षित ढंग से संभालने के लिए सुसज्जित की गई है।

mNeVA, NeVA का एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल एप है जो Android के साथ-साथ iOS पर भी उपलब्ध है। mNeVA ने विधायिकाओं में व्यवसाय के संचालन के बारे में जानकारी को कभी भी, कहीं भी सभी के लिए सुलभ बना दिया है। अधिक जानकारी के लिए https://neva.gov.in/Home/NeVA विजिट कर सकते हैं।

संसद के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव

NeVA वास्तव में भारत के लोकतंत्र और भारत की विधायिकाओं और संसद के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य भी कर रहा है। यह प्रभावी ढंग से कार्बन फुटप्रिंट और विधायिका के काम के लिए हो रहे कागज के उपयोग की वजह से अक्षमता को कम करेगा। NeVA राष्ट्र के विकास के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए सभी विधायकों को जोड़ने वाले 'वन नेशन, वन टेक्नोलॉजिकल बैकबोन' के सिद्धांत को भी प्रदर्शित करता है।

अब तक किन्हें मिल चुकी NeVA की सेवा ?

अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने NeVA के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और 17 विधानसभाओं के लिए परियोजना को मंजूरी देकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उन्हें धन जारी कर दिया गया है। इनमें से नौ विधान मंडल पहले से ही पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं और NeVA प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। वे अपना शुरू से अंत तक हर कार्य डिजिटल और पेपरलेस तरीके से कर रहे हैं।

हाल ही में सम्पन्न हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में छह सत्र हुए। पहला सत्र 'डिजिटल हाउस के लिए एक मंच के रूप में NeVA' पर हुआ। विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उन नौ विधानमंडलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने पर एक सत्र हुआ जो NeVA के माध्यम से लाइव हो चुके हैं। एक सत्र सीपीएमयू, NeVA टीम की तरफ से 'NeVA के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम' पर आयोजित किया गया।

वहीं राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन एक सत्र 'NeVA : सुशासन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने' को लेकर हुआ। इसमें गूगल इंक., माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के तीन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने 'एआई' जैसी उभरती नवीनतम तकनीकों पर अपने विचार और मार्गदर्शन व्यक्त किए। इसने NeVA के सभी हितधारकों की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए दिशा दिखाने के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन राज्यों से आग्रह किया गया जो पहले से ही NeVA से जुड़े हुए हैं, ताकि वे सुशासन प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठा सकें।

NeVA के मॉड्यूल

इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान तकनीकी टीम ने NeVA के 17 मॉड्यूल के बारे में प्रस्तुति दी, जो पहले ही लागू हो चुके हैं। उसके बाद NeVA परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह और मुद्दों को हल करने के लिए प्रश्न और उत्तर सत्र के लिए सदन ओपन किया गया जिसमें प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कानून और न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने पहले ही डिजिटल तकनीक को अपना लिया है, विधानमंडलों को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बदलते समय के साथ चलने के लिए इसे अपनाना चाहिए। इस डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने इस दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय से राज्य विधानसभाओं को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यशाला में बताया गया कि NeVA भारत सरकार की एक दूरदर्शी पिरयोजना है और सरकार की डिजिटल पहल ने समाज को एक डिजिटल में बदल दिया है। आज डेटा सस्ता है, जिससे भारत डिजिटल सोच पैदा कर रहा है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारत एआई के 27 देशों के समूह का अध्यक्ष है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 161 प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। 21 विधानसभाओं ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 17 विधानसभाओं की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और धनराशि जारी की गई है। उनमें से 9 विधानसभाएं NeVA प्लेटफॉर्म पर पहले ही लाइव हो चुकी हैं। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने पहली बार NeVA का अनुभव किया और उनमें से कुछ ने प्राथमिकता के आधार पर NeVA को ऑनबोर्ड करने के लिए कदम उठाने का वादा किया।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान-खेल

1. **राफेल नडाल ने किस ओलिंपिक में टेनिस के पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है?**
(अ) बीजिंग 2008
(ब) लंदन 2012
(स) रियो 2016
(द) इनमें से कोई नहीं

2. **इनमें से किस बल्लेबाज ने लगातार चार टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक बनाये हैं?**
(अ) जो रूट
(ब) केन विलियमसन
(स) डीन एल्गर
(द) विराट कोहली

3. **भारत ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप-2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं?**
(अ) दो (ब) तीन
(स) चार (द) पांच

4. **जॉन मैकनरो ने कितनी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है?**
(अ) तीन बार (ब) चार बार
(स) पांच बार (द) सात बार

5. **इस वर्ष सऊदी अरब में आयोजित फॉर्मूला वन रेस किसने जीती है?**
(अ) सर्जियो पेरेज
(ब) मैक्स वर्स्टपेन
(स) एलेक्जेंडर एल्बोन
(द) डेनियल रिकियार्डो

6. **वर्ष 2022 के लिए फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं?**
(अ) सैम केर
(ब) एलेक्सिया पुटेलस
(स) मेगन रेपिनो
(द) इनमें से कोई नहीं

7. **मिताली राज ने कितने वन-डे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय महिला टीम की कप्तानी की है?**
(अ) 155 (ब) 158
(स) 159 (द) 163

8. **वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) कार्लोस अलकरेज
(ब) होल्गर रूने
(स) जेनिक सिनर
(द) डेनिल मेदवेदेव

9. **इनमें से किस देश ने इस वर्ष एफआईएच हॉकी विश्वकप जीता है?**
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) बेल्जियम
(स) जर्मनी (द) द. कोरिया

10. **इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है?**
(अ) शाकिब अल हसन
(ब) रोहित शर्मा
(स) मार्टिन गुप्टिल
(द) मोहम्मद हफीज

11. **किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख नाम से भी जाना जाता है?**
(अ) हरभजन सिंह
(ब) बिशन सिंह बेदी
(स) मिल्खा सिंह
(द) परगट सिंह

12. **हॉकी कप किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है?**
(अ) बास्केटबॉल (ब) गोल्फ
(स) टेनिस (द) फुटबॉल

13. **नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत के किस शहर में स्थित है?**
(अ) नई दिल्ली (ब) कोलकाता
(स) आइजोल (द) भुवनेश्वर

14. **इनमें से किस वेटलिफ्टर ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में स्वर्ण पदक नहीं जीता है?**
(अ) मीराबाई चानू
(ब) बिंदियारानी देवी
(स) अचिंत शेउली
(द) जेरेमी लालरिनुंगा

15. **इस वर्ष किस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) आंद्रे रूबलेव
(ब) डेनिल मेदवेदेव
(स) स्टेफनोस सितसिपास
(द) इनमें से कोई नहीं

16. **हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी कौर सिंह किस खेल से संबंधित रहे हैं?**
(अ) हॉकी (ब) एथलेटिक्स
(स) फुटबॉल (द) मुक्केबाजी

17. **वर्ष 2022 में किस क्लब ने यूएफा वुमेन चैम्पियंस लीग टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) बार्सिलोना (ब) रियल मैड्रिड
(स) लियोन (द) चेल्सी

18. **वर्ष 2013 में किस देश ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है?**
(अ) पाकिस्तान (ब) भारत
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) श्रीलंका

19. **एनबीए वॉस्केटबॉल लीग का आयोजन किस देश में होता है?**
(अ) अमेरिका (ब) नीदरलैंड
(स) कनाडा (द) ब्रिटेन

20. **किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है?**
(अ) किदांबी श्रीकांत
(ब) एचएस प्रणय
(स) चिराग शेट्टी
(द) तेजस्विन शंकर

21. **रोहित शर्मा ने वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने शतक बनाये हैं?**
(अ) 22 (ब) 28
(स) 30 (द) 34

22. **भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?**
(अ) 15 जुलाई (ब) 29 अगस्त
(स) 2 अप्रैल (द) 12 दिसम्बर

23. **इनमें से कौन-सा खेल एशियाई खेल 2023 में शामिल नहीं है?**
(अ) बिलियर्ड्स (ब) शतरंज
(स) गोल्फ (द) वॉलीबॉल

24. **सुमित नागल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?**
(अ) क्रिकेट (ब) टेनिस
(स) बैडमिंटन (द) कबड्डी

25. **ओलिंपिक खेलों में तीरंदाजी को पहली बार कब शामिल किया गया था?**
(अ) वर्ष 1900 (ब) वर्ष 1908
(स) वर्ष 1920 (द) वर्ष 1924

उत्तर

1. (अ), 2. (द), 3. (स), 4. (ब), 5. (अ), 6. (ब), 7. (अ), 8. (द), 9. (स), 10. (ब), 11. (स), 12. (द), 13. (अ), 14. (ब), 15. (अ), 16. (द), 17. (स), 18. (ब), 19. (अ), 20. (द), 21. (स), 22. (ब), 23. (अ), 24. (ब), 25. (अ)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

आईसीसी ने घोषित की डब्ल्यूटीसी की इनामी राशि

मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की इनामी राशि घोषित कर दी है। आईसीसी ने कहा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे चक्र (वर्ष 2021-23) के लिए इनामी राशि बढ़ाई गई है। दूसरे चक्र के विजेता को पुरस्कारस्वरूप 13 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले बार की तुलना में एक करोड़ 29 लाख रुपये अधिक है। इसी तरह विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की उपविजेता को 6.5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। आईसीसी ने कहा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-23 की अंकतालिका के क्रमानुसार दक्षिण अफ्रीका को 3.5 करोड़, इंग्लैंड को 2.8 करोड़, श्रीलंका को 1.6 करोड़ रुपये बतौर पुरस्कार राशि मिलेंगे, जबकि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को 82-82 लाख रुपये इनाम के तौर पर मिलेंगे।

मैक्स वर्स्टापेन ने जीती मोनाको ग्रांप्री रेस

मोनाको, मौजूदा फॉर्मूला-वन चैम्पियन मैक्स वर्स्टापेन का फॉर्मूला-वन सर्किट पर शानदार प्रदर्शन जारी है। वर्स्टापेन ने मोनाको ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस में जीत दर्ज की है। ये वर्स्टापेन के कॅरियर की 39वीं जीत है। वर्स्टापेन ने दूसरी बार मोनाको ग्रांप्री रेस जीती है, इससे पहले वर्स्टापेन वर्ष 2021 में भी मोनाको ग्रांप्री के विजेता बने थे। वर्स्टापेन ने 78 लैप की मोनाको ग्रांप्री रेस को एक घंटा 48 मिनट 51.980 सेकेंड में पूरा किया। बारिश से प्रभावित इस रेस में वर्स्टापेन को फर्नांडो अलोंसो से कड़ी टक्कर मिली। रेस में अलोंसो दूसरे, एस्टबेन ओकेन तीसरे, लुईस हैमिल्टन चौथे और जॉर्ज रसेल पांचवें स्थान पर रहे।

रेयान क्रूजर ने शॉटपुट में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

लॉस एंजिलिस, अमेरिका के स्टार एथलीट और दो बार के ओलिंपिक चैम्पियन रेयान क्रूजर ने शॉटपुट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। क्रूजर ने लॉस एंजिलिस ग्रांप्री में शॉटपुट स्पर्धा में अपने चौथे प्रयास में 23.56 मीटर की दूरी तय की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले शॉटपुट खेल में विश्व रिकॉर्ड 23.37 मीटर का था, जिसे क्रूजर ने ही जून 2021 में बनाया था। क्रूजर रियो ओलिंपिक 2016 और टोक्यो ओलिंपिक 2020 में शॉटपुट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।

एफबीके गेम्स में नहीं खेलेंगे नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली, भारत के ओलिंपिक चैम्पियन एथलीट नीरज चोपड़ा चोट के चलते नीदरलैंड्स के हेंगेलो में आयोजित होने वाले एफबीके गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नीरज ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है और एहतियात के तौर पर एफबीके गेम्स से हट रहे हैं। नीरज ने कहा कि चिकित्सीय आकलन के बाद और एशियाई खेलों को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने ऐसे किसी भी जोखिम से बचने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चोटें सफर का हिस्सा हैं, लेकिन यह कभी आसान नहीं होता।

आईपीएल 2023

चेन्नई सुपर किंग्स पांचवीं बार बनी आईपीएल की चैम्पियन

अहमदाबाद, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पर अपनी बादशाहत कायम की है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल के सोलहवें सत्र के फाइनल में गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हराकर चेन्नई ने पांचवीं बार आईपीएल का खिताब जीता।

टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और ऋद्धिमान साहा ने गुजरात को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए सात ओवरों में 67 रन जोड़े। टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले शुभमन फाइनल में 39 रन ही बना सके, वहीं साहा ने 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला। सुदर्शन चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 47 गेंदों में 96 रन बनाये। सुदर्शन ने इस पारी में 8 चौके और 6 छक्के लगाये। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाये।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी ही थी कि बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद खेल शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवरों में 171 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। चेन्नई को ऋतुराज गायकवाड़ (26) और डेवोन कॉन्वे (47) ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाते हुए जीत की नींव रखी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 39 गेंदों में 74 रन जोड़े। इनके बाद शिवम दुबे ने नाबाद 32, अजिंक्य रहाणे ने 27 और अंबाती रायडू ने 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। चेन्नई को आखिरी दो गेंदों में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (15) एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को खिताब जिताने में सफल रहे।

- **चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस की बराबरी की है।**
- **चेन्नई और मुंबई ने 5-5 बार जीती है आईपीएल ट्रॉफी।**
- **कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस 1-1 बार बने हैं आईपीएल के विजेता।**
- **आईपीएल के इस सत्र में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 890 रन बनाये, वहीं मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए।**

यशस्वी जायसवाल को भारतीय टेस्ट टीम में मिली जगह

मुंबई, आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिल गई है। बीसीसीआई ने 7 जून से शुरू होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए यशस्वी को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह भारतीय टीम में स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है।

बीसीसीआई ने कहा कि ऋतुराज ने सूचित किया कि वे वैवाहिक कार्यक्रम के चलते 5 जून से पहले भारतीय टीम से जुड़ नहीं पायेंगे, इसीलिए चयन समिति ने ऋतुराज की जगह यशस्वी को टीम में शामिल किया है।

अवनि लखेरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्डकप में जीता रजत पदक

चेंगवोन, भारत की पैरालिम्पिक चैम्पियन निशानेबाज अवनि लखेरा ने दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्डकप में रजत पदक जीता है। अवनि ने वर्ल्डकप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच-1 स्पर्धा में यह पदक जीता। अवनि स्पर्धा के फाइनल में महज 0.1 अंक से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गईं। अवनि ने फाइनल राउंड में 250.1 अंक अर्जित किए। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन की एना बेन्सन ने जीता। ये भारत का पैरा शूटिंग में 100वां पदक है। इससे पहले अवनि ने क्वालिफिकेशन राउंड में 626.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था

अंबाती रायडू ने आईपीएल से लिया संन्यास

अहमदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने अब आईपीएल से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे रायडू ने सोशल मीडिया पर संन्यास लेने की जानकारी देते हुए कहा कि दो ग्रेट टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, 204 मैच, 14 सीजन और 6 ट्रॉफी। यह काफी लंबा सफर है, मुझे वास्तव में इस टूर्नामेंट को खेलने में मजा आया है। रायडू वर्ष 2013, 2015 और 2017 में आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस तथा वर्ष 2018 2021 और 2023 में आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्य हैं। अंबाती रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 55 वन-डे और 6 टूवेंटी-20 मैच खेले हैं।

प्रणय ने जीता मलेशिया मास्टर्स का खिताब

क्वालालंपुर, भारतीय शटलर एचएस प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। प्रणय ने टूर्नामेंट के फाइनल में चीन के वेंग होंग येंग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया।

प्रणय ने फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत की और ब्रेक तक 11-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद येंग गेम में आगे निकल गए। प्रणय ने अंतिम समय में शानदार वैकहैंड शॉट लगाये और 21-19 से गेम जीत लिया। दूसरे गेम में येंग ने जबरजस्त वापसी की और गेम को एकतरफा बना दिया। येंग ने इस गेम में प्रणय को संभलने का मौका भी नहीं दिया और 21-13 से जीत दर्ज की।

- **प्रणय ने कॅरियर का पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब है।**
- **प्रणय मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।**
- **महिला वर्ग में पीवी सिंधु दो बार और साइना नेहवाल एक बार जीत चुकी हैं मलेशिया मास्टर्स।**

मैच का तीसरा सेट रोमांचक और निर्णायक रहा। तीसरे गेम में येंग ने शुरुआती बढ़त बनाई। इसके बाद प्रणय ने एक बार फिर दमदार खेल दिखाया और गेम को बराबरी पर ले आये। तीसरे गेम में एक समय स्कोर 18-18 की बराबरी पर था। इसके बाद प्रणय ने लगातार अंक अर्जित कर गेम 21-18 से जीत लिया।

महिला वर्ग में यामागुची बनीं विजेता

टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता। यामागुची ने स्पर्धा के फाइनल में ग्रिगोरिया मिरिस्का तुंगजुंग को सीधे गेमों में 21-17, 21-7 से हराया।

लीग-1 प्रतियोगिता

पेरिस सेंट जर्मेन बनी चैम्पियन

रोम, फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रांसीसी फुटबॉल प्रतियोगिता लीग-1 का खिताब अपने नाम किया है। लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे स्टार खिलाड़ियों वाली पेरिस सेंट जर्मेन टीम का टूर्नामेंट में स्ट्रॉसबर्ग टीम से मैच ड्रॉ रहा, इसके साथ ही टीम ने खिताब पर कब्जा सुनिश्चित कर लिया है।

पेरिस सेंट जर्मेन और स्ट्रॉसबर्ग के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। मैच का पहला हाफ गोलरहित रहा। स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद पेरिस सेंट जर्मेन पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में पेरिस सेंट जर्मेन ने आक्रामक रणनीति अपनाई। मैच के 59वें मिनट में पेरिस सेंट जर्मेन के लिए लियोनल मेसी गोल करने में सफल रहे। मेसी ने एमबाप्पे के सटीक पास को गोलपोस्ट में पहुंचाया। मेसी का यह यूरोप की विभिन्न शीर्ष पांच लीगों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

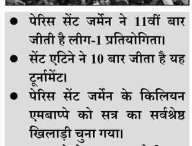

- **पेरिस सेंट जर्मेन ने 11वीं बार जीती है लीग-1 प्रतियोगिता।**
- **सेंट एटिने ने 10 बार जीता है यह टूर्नामेंट।**
- **पेरिस सेंट जर्मेन के किलियन एमबाप्पे को सत्र का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।**
- **एमबाप्पे ने लगातार चौथी बार यह पुरस्कार जीता है।**
- **एमबाप्पे ने इस सत्र में पेरिस सेंट जर्मेन के लिए 28 गोल दागे हैं।**

लीगों में 496वां गोल है। इसके साथ ही मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोप की

मैच में पिछड़ने के बाद स्ट्रॉसबर्ग ने भी गोल करने के प्रयास तेज कर दिए। टीम को सफलता 79वें मिनट में मिली। स्ट्रॉसबर्ग के लिए केविन गामेरो ने बेहतरीन गोल दागा। इसके बाद दोनों टीमों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच बराबरी पर खत्म हुआ।

फ्रांसीसी लीग में पेरिस सेंट जर्मेन के 37 मैचों में 85 अंक हो गए हैं और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी टीम लेंस से 4 अंक आगे है। इसके साथ ही लीग में पेरिस सेंट जर्मेन का शीर्ष पर रहना तय हो गया है। अभी इस लीग में सभी टीमों को 1-1 मैच खेलना बाकी है। पेरिस सेंट जर्मेन ने अब तक 27 मैच जीते हैं। उल्लेखनीय है कि मेसी का पेरिस सेंट जर्मेन के साथ यह आखिरी सत्र है।

इंटर मिलान ने जीता कोपा इटालियन कप का खिताब

रोम, इटली के फुटबॉल क्लब इंटर मिलान ने कोपा इटालियन कप का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में इंटर मिलान ने फियोरेंटिना को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में निकोलस गोंजालेज ने मैच के तीसरे मिनट में गोल दाग कर फियोरेंटिना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंटर मिलान ने पलटवार किया। इंटर मिलान के लिए लुटारो मार्टिनेज ने 29वें मिनट में गोल दागा। मार्टिनेज ने 37वें मिनट में एक और गोल कर इंटर मिलान को 2-1 से आगे कर दिया। मैच के दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी टीम सफल नहीं हुई। इंटर मिलान ने नौवीं बार यह खिताब जीता है। इंटर मिलान का यह इस सत्र में दूसरा खिताब है, इससे पहले इंटर मिलान ने इटालियन सुपर कप जीता है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

● श्री हरिकोटा से ●

नेवीगेशन सैटेलाइट एनवीएस-01 सफलतापूर्वक लॉन्च

इसरो ने आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-01 सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

यह धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। देश के आसपास 1500 किमी तक नेविगेशन सेवाएं देगा। इससे सिम्पल सुरक्षित होंगे। किसी भी जगह की सटीक रीयल टाइम पोजिशनिंग मिलेगी।

यह स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी से लैस है। ये सटीक लोकेशन, पोजिशन और टाइमिंग बताने में मदद करेगी। सोलर ऊर्जा से संचालित एनवीएस 12 वर्ष सेवा देगा। हम नेविगेशन के लिए सात पुराने सैटेलाइट समूह पर निर्भर थे। इनमें से तीन खराब हो चुके थे।

नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित

नए संसद भवन की हर दीवार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक

- **स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया।**
- **यह पहली बार है कि श्रमिकों के योगदान को नई संसद में अमर कर दिया गया है।**
- **प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन में पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शीर्ष पर नंदी के साथ सेंगोल को स्थापित किया।**

राष्ट्र के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अमर होते हैं। कुछ तिथियां समय के चेहरे पर अमर हस्ताक्षर बन जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 मई, 2023 एक ऐसा ही दिन है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने अमृत महोत्सव के लिए खुद को उपहार दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि यह नया संसद भवन योजना को वास्तविकता

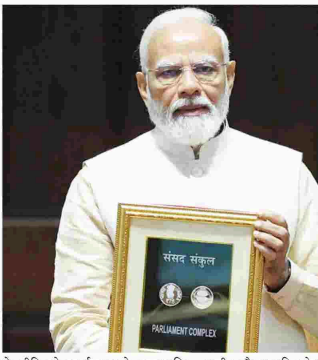

से, नीति को कार्यान्वयन से, इच्छाशक्ति को निष्पादन से और संकल्प को सिद्धि से जोड़ता है। यह स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा और एक विकसित भारत का निर्माण होता देखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नया भवन प्राचीन और आधुनिक के सह-अस्तित्व का उदाहरण है। नई संसद के निर्माण में योगदान देने वाले 'श्रमिकों' के साथ अपनी बातचीत का स्मरण करते हुए उन्होंने बताया कि संसद के निर्माण के दौरान 60,000 श्रमिकों को रोज़गार दिया गया था और उनके योगदान को रेखांकित करते हुए सदन में एक नई दीर्घा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि नई संसद में श्रमिकों के योगदान को अमर कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नई ऊर्जा और शक्ति देगी। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि निर्धनों, दलितों, पिछड़ों, जनजातीय, दिव्यांगों और समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का रास्ता वंचितों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ-साथ इस संसद से होकर गुजरेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, हर कण गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में इस नए संसद भवन में बनने वाले नए कानून भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, गरीबी को भारत से बाहर निकालने में मदद करेंगे और देश के युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का नया भवन एक नए, समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो नीति, न्याय, सच्चाई, गरिमा और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है और मजबूत बनता है।

रेचेप तैयप एर्दोगन

तुर्किये का राष्ट्रपति चुनाव जीता

रेचेप तैयप एर्दोगन तुर्किये के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। अनाधिकारिक चुनाव परिणाम के मुताबिक उन्हें 53

- **53 फीसदी मतों के साथ दर्ज की जीत।**

फीसदी मत मिले हैं। तुर्किये के गांधी कहे जाने वाले कमाल केलिचडारोहलू को 47 फीसदी मत ही मिल सके हैं। इसी के साथ तुर्किये की सत्ता में एक बार फिर एर्दोगन की वापसी हो चुकी है। इससे पहले हुए चुनाव में एर्दोगन और केलिचडारोहलू में से किसी को बहुमत नहीं मिल सका था। तुर्किये में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में कम से कम 50 फीसदी मत पाना जरूरी होता है। पिछले चुनाव में एर्दोगन को 49.5 फीसदी मत मिले थे। ऐसे में उनकी जीत की प्रबल संभावना

जताई जा रही थी।

ज्ञात रहे कि तुर्किये में कई समाचार एजेंसियों द्वारा जारी दूसरे दौर के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े शुरुआती और अनाधिकारिक परिणामों से पता चलता है कि 88 फीसदी मतपत्रों की गिनती हो चुकी है। तुर्किये की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने दिखाया कि एर्दोगन को 53 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि कमाल को 47 फीसदी मत हासिल हुए हैं।

नेवल आयरन डोम का इजरायल ने किया सफल परीक्षण

इजरायली सेना ने नेवल आयरन डोम (C-Dome) का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य समुद्र में इजरायल के हितों की

- **सी-डोम ने टेस्ट के दौरान सभी मानदंडों को पूरा किया।**

रक्षा करना है। इजरायली सेना ने घोषणा की कि उसने समुद्र में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए अपने सार 6 मैगन नौसैनिक जहाज पर परीक्षणों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण इजरायल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने आयोजित किया था। आयरन डोम दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसका

इस्तेमाल मुख्य रूप से रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार को मार गिराने के लिए किया जाता है।

इजरायली मीडिया हार्टज़ की रिपोर्ट के अनुसार, जिन प्रणालियों का परीक्षण किया गया उनमें से एक सी-डोम था। यह आयरन डोम का नौसैनिक वेरिएंट है। इजरायली सेना के बयान के अनुसार, इन परीक्षणों के दौरान रॉकेट और क्रूज मिसाइल के अलावा ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाने का अभ्यास किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि सी-डोम प्रणाली समुद्र में इजरायल की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण छलांग है। यह इजरायल को समुद्री क्षेत्र में बढ़ते खतरों के सामने अपनी श्रेष्ठता और परिचालन स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

ज्ञात रहे कि सी-डोम को इजरायल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से विकसित किया गया है। आयरन डोम राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज का बनाया गया एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है।

रूस के व्लादिवोस्तोक में सैटेलाइट सिटी बसायेगा भारत

रूस और भारत के बीच दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने के

- **भारत और रूस के बीच सहयोग पर औपचारिक सहमति बनी।**
- **दोनों देशों में कामोव केए-226 हेलीकॉप्टरों की डील पर बातचीत जारी है।**

लिए काफी दबाव पड़ा। इसके बावजूद भारत अपने ऐतिहासिक संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को एस-400 मिसाइल सिस्टम की तीन रेजीमेंट की डिलीवरी हो चुकी है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के जरिए रूस के व्लादिवोस्तोक तक एक

नया परिवहन गलियारा बनाने पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत की प्लानिंग व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाने की भी है।

भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने में रुचि व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की फॉर ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में इस शहर में बंदरगाह, सड़कें और ऊर्जा बुनियादी ढांचा बनाना चाहता है। रूस भी व्लादिवोस्तोक में भारत की उपस्थिति का उत्सुक है।

रूस के व्लादिवोस्तोक पर चीन भी दावा करता है। फॉर ईस्ट और आर्कटिक के विकास के लिए रूसी मंत्री अलेक्सी चेकुनकोव के अनुसार, मॉस्को और नई दिल्ली उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) के साथ एक ट्रांस-आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं को लॉन्च करने की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं।

रूस ने तबाह की तूफानी मिसाइल स्टॉर्म शैडो

विदेशी हथियारों के दम पर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन की उस तूफानी मिसाइल को

- **स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिये रूसी ठिकानों पर यूक्रेन हमला कर रहा था।**

मार गिराया है, जिसके दम पर वह पुतिन की सेना को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। रूस ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइलों ने यूक्रेन की कम से कम 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। यह कम दिखने वाली लंबी दूरी तक हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे 1994 में ब्रिटिश वायु सेना के लिए विकसित किया गया था। स्टॉर्म शैडो

मिसाइल को अब एमबीडीए बनाती है। फ्रांस में इसे स्कैल्प इजी मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल 2003 से सर्विस में है।

ज्ञात रहे कि ब्रिटेन ने 11 मई को घोषणा की थी कि वह यूक्रेन को 250+ किलोमीटर की रेंज की स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने जा रहा है। तब ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस ने संसद को बताया था कि ये मिसाइलें यूक्रेन की रक्षा के लिए हैं। इसे किसी भी दूसरे देश के इलाके में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

पहले दो चरण में होगी

चौतीस जिलों में ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनों की एफएलसी

भोपाल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले दो चरण में 34 जिलों में ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनों की जिला स्तर पर एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) के लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य 7 एवं 10 जून को किया जाएगा। जिला स्तर पर होने वाला यह कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियर्स द्वारा किया जाएगा। इसकी सूचना जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी।

7 जून को 15 जिलों में ईवीएम, व्हीव्हीपीएटी का एफएलसी होगी। इसमें गुना, निवाड़ी, रीवा, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, बैतूल, भोपाल, आगर-मालवा, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं मुरैना जिला शामिल है।

10 जून को 19 जिलों में ईवीएम, व्हील्हीपीएटी की एफएलसी होगी। इसमें श्योपुर, भिंड, दतिया, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिंगरौली, उमरिया, सिवनी, नरसिंहपुर, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ एवं धार जिला शामिल है।

भोपाल गौरव दिवस कार्यक्रम

भोपाल में बनाया जायेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम - मुख्यमंत्री

भोपाल, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और भोपाल । जून 1949 को स्वतंत्र हुआ। हम भोपाल का स्वतंत्रता दिवस, गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। अनेक लोगों ने भोपाल की आजादी के लिए विलीनीकरण में हिस्सा लिया था। यह उनको याद करने का दिन है। भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं राजा भोज द्वारा बसाया गया शहर है। भोपाल के तालाब में राजा भोज की प्रतिमा लगाई है, जो भोपाल की पहचान है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भोपाल गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुये कहीं।

श्री चौहान ने कहा कि आगामी वर्ष से भोपाल गौरव दिवस पर । जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भोपाल में कन्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। तालाब के ऊपर से रोप-वे चलाने की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल को दुनिया के शहरों में नम्बर एक बनाने के लिए सभी संकल्प लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति ने अपने स्वाभिमान और नारी सम्मान के लिए छोटे तालाब में समाधि ले ली थी। बच्चों को इतिहास से अवगत कराने के लिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया है। इसी तरह इस्लामनगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। हमारा भोपाल हिन्दुस्तान में स्वच्छतम राजधानी है। स्वच्छता में भोपाल को नम्बर एक बनाना है। इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में नशे का अपराधिक कृत्य नहीं चलने देंगे। भोपाल का इतिहास बहुत गौरवशाली है। राजाभोज सुशासन के सूत्र थे। हमारे प्राचीन इतिहास, परम्परा और जीवन मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया है। भोपाल का विकास आगे बढ़ा है। इसे और आगे बढ़ाना है। भोपाल को स्वच्छता में नम्बर एक पर भी लाना है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अधिक से अधिक जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश

भोपाल, आयुष राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रामकिशोर 'नानो' कांवरे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास में अधिक से अधिक जन-भागीदारी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित हेल्थ वेलनेस सेंटर पर नागरिकों को नियंत्र योगाभ्यास करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

बताया गया कि प्रदेश के सभी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ संभागीय और जिला आयुष अधिकारियों को पत्र लिखकर सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम के लिये योग' रखी गई है। आयुक्त आयुष ने बताया कि स्वयंसेवी संगठन श्री राम चन्द्र मिशन, हार्टफुलनेस संस्थान, गायत्री परिवार और स्वाभिमान मंच ग्राम स्तर पर योग एवं ध्यान के कार्यक्रम कर रहे हैं। जनअभियान परिषद ने ग्राम पंचायत स्तर पर एकात्म अभियान भी शुरू किया है। अभियान में एकात्म की अवधारणा के साथ ग्राम स्तर पर सामाजिक समरसता, उत्तम स्वास्थ्य और तनाव से मुक्ति कराते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में योग शैली को विकसित किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर योग एवं ध्यान के कम से कम 3 सत्र कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के 51 पर्यटन स्थलों का चयन कर लिया गया है, जहाँ सामूहिक योगाभ्यास किया जायेगा। बैठक में आयुष ग्राम की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 17 हजार 144 शिकायतों का निराकरण

भोपाल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 17 हजार से अधिक बिजली शिकायतों का निराकरण किया गया। दस से 25 मई तक उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिये मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 1807 शिकायत निवारण शिविर में 18 हजार 187 शिकायत प्राप्त हुईं। इनमें से 17 हजार 144 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया एवं शेष शिकायतों का निराकरण जल्द ही कर दिया जाएगा। शिकायत निवारण शिविरों में मुख्यतः विलंब से बिलों का वितरण, बिल प्राप्त न होना, अधिक बिल राशि, मीटर-वाचन देरी से होना, गलत रीडिंग होना, ऑनलाइन बिल जनरेट न होना, ऑनलाइन की गई पेमेंट न दिखना, विद्युत-प्रदाय, नवीन कनेक्शन, भार वृद्धि तथा अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल रीजन में 748 शिविरों में कुल 7 हजार 112 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 6 हजार 552 शिकायतों का मौके पर निराकरण कर दिया गया। ग्वालियर रीजन में 1059 शिविरों में कुल 11 हजार 075 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 हजार 592 शिकायतों को मौके पर ही निराकृत कर दिया गया तथा शेष शिकायतों का निराकरण जल्दी ही कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि इन शिकायत निवारण शिविरों में अधिक बिल राशि की 5 हजार 445, बिल प्राप्त न होने की 571, गलत रीडिंग की 922, नवीन कनेक्शन की 3 हजार 616, भार वृद्धि की 378, विद्युत प्रदाय की 2 हजार 811, देरी से रीडिंग की 195, रीडिंग नहीं लेने की 839, ऑनलाइन बिल जनरेट न होने की 197, ऑनलाइन किया गया पेमेंट नहीं दिखाई देने की 246 और अन्य 666 शिकायतों का शिविर लगा कर निराकरण किया गया।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही बेहतर उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करना कंपनी की प्राथमिकता है और इसी कड़ी में बेहतर सुशासन और आमजन की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान द्वितीय चरण में प्राप्त शिकायतों को कंपनी द्वारा समय-सीमा में हल किया गया है।

एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग (एक वर्षीय कोर्स)

(ITEES सिंगापुर के तकनीकी सहयोग से)

संस्थान/पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं :

- हाई-टेक CNC, CMM, EDM वायर कट मशीनों के साथ अत्याधुनिक स्टेट ऑफ दी आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर
- कोर्स डिजाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, उपकरण, शिक्षाशास्त्र ITEES सिंगापुर के अनुसार
- क्षमता-आधारित गहन कौशल प्रशिक्षण
- प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (एक मशीन-एक प्रशिक्षणार्थी)
- रोज़गार के लिये तैयार टैक्नीशियन एवं इंजीनियर बनाने के लिये विश्व स्तरीय सुविधायें
- उद्योगों से रोज़गार हेतु सतत् सम्पर्क
- सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ फॉरेन लेंग्वेज का प्रशिक्षण
- रोज़गार के प्रचुर एवं पर्याप्त अवसर
- पात्र प्रशिक्षणार्थियों को 'MMJKY' के अंतर्गत छात्रवृत्ति की सुविधा

प्रवेश पात्रता :

- आईटीआई उत्तीर्ण (टर्नर/फिटर/मशीनिष्ट/मशीनिष्ट ग्राइंडर/मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस)

अथवा

- डिप्लोमा या B.Tech/B.E. उत्तीर्ण (मैकेनिकल/इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन)

कुल 120 सीटें :

- अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों हेतु 5% सीटें
- अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 20% सीटें
- मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों के लिए 75% सीटें (30% सीटें महिलाओं के लिए)

आवेदन की तिथि :

- ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 जून से 20 जून 2023 तक किये जायेंगे।

95% प्रशिक्षणार्थियों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेसमेंट

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए विज़िट करें :
gsp.mponline.gov.in/www.globalskillspark.mp.gov.in
admission.gsp@mp.gov.in 9893346258, 9713992665, 9981919733
प्रवेश विवरणिका प्राप्त करने के लिए : टाइप करें Hi 9981919733

GLOBAL SKILLS PARK BHOPAL-MADHYA PRADESH

एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क
(मध्यप्रदेश शासन का प्रमुख संस्थान)

जीएसपी-सिटी कैंपस, आई.टी.आई. कैंपस, गोविन्दपुरा, रायसेन रोड, भोपाल- 462023 (मध्यप्रदेश)

अधिक जानने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

D-110018-R-465599/2023

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क हुआ नहीं आकल्पन : मप्र. माध्यम/2023

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- मनीष सिंह, मुद्रक- मनीष सिंह द्वारा मेसर्स डी.वी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- राजीव तिवारी।